ऑक्सफैम इंडिया
Oxfam
India

सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना

वार्षिक रिपोर्ट 2012

भारत में ऑक्सफैम के **61** वर्ष, एक कालानुक्रम

1951

ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन ने बिहार अकाल राहत कार्य के साथ भारत में कार्य आरंभ किया

1957

ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया ने भारत में फूड फॉर कैंपेन अभियान आरंभ किया

1964

ऑक्सफैम नोविब ने भारत में सिविल सोसाइटी से जुड़े संगठनों को समर्थन देने के साथ कार्य आरंभ किया

1987

ऑक्सफैम इंटरमॉन ने भारत में कार्य आरंभ किया

1993

ऑक्सफैम हांगकांग ने भारत एवं बांग्लादेश में कार्य आरंभ किया

2002

ऑक्सफैम ट्रस्ट का पंजीकरण

2008

ऑक्सफैम इंडिया की स्थापना के लिए ऑक्सफैम से सम्बद्ध सभी संस्थाओं का विलय कर दिया गया

2011

ऑक्सफैम इंडिया पूरी तरह से ऑक्सफैम इंटरनेशनल की सम्बद्ध संस्था बन गई

ऑक्सफैम इंडिया
Oxfam India

साभार :
अवधारणा व डिजाइनः THOT, www.thot.in
कार्यान्वयनः ऑक्सफैम इंडिया कम्युनिकेशन टीम
फोटो साभारः राजेश मिंडी, अंशुल ओझा, टी एस कालरा, रंजन राही, प्रशांत अवस्थी, मीता अहलावत, लक्ष्य धरन, केट ओ' रार्के व ऑक्सफैम इंडिया
कॉपीराइट : ऑक्सफैम इंडिया 2012

आवरण चित्रः ओडिशा के क्योंझार जिले के बाम्पुर्दा ग्राम में पाउतिबुया जनजाति समुदाय का एक सदस्य आम चुनते हुए

सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना

विषयसूची

सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना (अध्यक्ष का संदेश)	02
एक झलक, इस तरह बीता वर्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश)	03
हमारे कार्यक्रम	04
आर्थिक न्याय	06
मूलभूत सेवाएं	09
लैंगिक न्याय	12
मानवीय राहत कार्य एवं आपदा प्रबंधन	14
उभरते मुद्दे	16
मार्केटिंग और वित्त जुटाना	20
सासान एवं प्रबंधन	24
आंकड़ों के पीछे की तस्वीर	30
साझीदार	39

हमारा विज़न

ऑक्सफैम इंडिया का विजन समान, न्यायसंगत व टिकाऊ विश्व की रचना करना है। 'सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले' यही ऑक्सफैम इंडिया का दूरगामी विजन है।

हमारा मिशन

ऑक्सफैम इंडिया अपने विजन को गरीबों एवं वंचितों को उनके अधिकारों की मांग करने के लिए सशक्त बनाकर, सम्पन्न लोगों को सक्रिय और सहयोगी नागरिक बनाकर, प्रभावी और जवाबदेह सरकार की वकालत करके, और बाजार को गरीबों एवं वंचितों के लिए काम करने वाला बनाकर पूरा करेगा।

हमारे मूल्य

ऑक्सफैम का मानना है कि उसके पांच बुनियादी मूल्य उसके विजन के केंद्र में हैं और अपने कार्यों के जरिए वह इन्हें बढ़ावा देता है। ये बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. अपने विज़न व मिशन के प्रति प्रतिबद्धता
2. ईमानदारी व सत्यनिष्ठा
3. समावेशी सोच, धर्मनिरपेक्षता व बहुलतावाद
4. जनता के अधिकारों को महत्व व आदर देना
5. उच्च गुणवत्तायुक्त नतीजे इस तरह से देना ताकि उससे सभी संबंधित पक्षों के प्रति जिम्मेदारी दिखे

हमारे बारे में

ऑक्सफैम का भारत में यह 61वां स्थापना वर्ष है। वर्ष 1951 में बिहार में आए अकाल के दौरान भारत जैसे विकासशील देश में बड़े पैमाने पर अपना पहला मानवीय राहत कार्य देने के उद्देश्य से ऑक्सफैम जीबी भारत आया। पिछले 61 वर्षों में ऑक्सफैम ने देश भर के अनेक सविल सोसाइटी संस्थाओं के विकास में मदद की है। वर्ष 2008 में, ऑक्सफैम की सभी इकाइयों ने मिलकर ऑक्सफैम इंडिया का गठन किया। पूरी तरह से एक स्वतंत्र भारतीय संगठन (भारतीय कर्मचारियों व भारतीय बोर्ड के साथ) के रूप में ऑक्सफैम इंडिया 17 ऑक्सफैमों के वैश्विक संघ का एक सदस्य है।

अध्यक्ष का संदेश

सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना

मुझे वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ऑक्सफैम इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षित खातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वर्ष 2011–12, ऑक्सफैम इंडिया के लिए उपलब्धियों से भरा होने के साथ ही चुनौतीपूर्ण भी रहा है। उपलब्धियों के संदर्भ में, हमने ग्रो (GROW) और ट्रेलवॉकर (Trailwalker) नामक दो नए कार्यक्रम आरंभ किए। ग्रो (GROW) विश्व में अक्षम खाद्य प्रणाली के प्रति ऑक्सफैम की प्रतिक्रिया है, एवं ट्रेलवॉकर (Trailwalker) ऑक्सफैम का बेहद अहम वैश्विक अभियान और भारत में संसाधन जुटाने का एक नया जरिया है। बेशक, इस प्रकिया में चुनौतियां भी भरपूर रहीं।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2011–12 के ऑक्सफैम इंडिया के लेखापरीक्षित खातों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹80.6 करोड़ की आय की तुलना में वर्ष 2011–12 में ₹55.1 करोड़ की आय हुई, जिसके कारण कुल आय में 32 प्रतिशत की गिरावट आई। इस आय में आई कुल गिरावट का मुख्य कारण यह है कि ऑक्सफैम इंडिया को अन्य (वैश्विक) ऑक्सफैमों द्वारा मिलने वाली सहायता में 27 प्रतिशत की गिरावट आयी है, क्योंकि अब भारत को एक मध्यम आय वाले देश के रूप में देखा जाता है जो गरीबी और अन्याय के खिलाफ बिना किसी विदेशी सहयोग के स्वयं ही अपनी लड़ाई जारी रख सकता है। यह आदर्श के स्तर पर निस्संदेह ठीक है, लेकिन भारत में सामाजिक योगदान की संस्कृति अभी अपने विकास के शुरुआती दौर में है। व्यक्तिगत एवं कार्पोरेट सेक्टर में इस संस्कृति की बेहतर पैठ बन पाने तक, वित्त जुटाना न केवल ऑक्सफैम इंडिया के लिए, बल्कि धन की कमी का सामना कर रहे बाकी नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के लिए भी एक कठिन काम बना रहेगा। यह एक संक्रमणशील मुद्दा है, और इसके रुझान सकारात्मक हैं, लेकिन मध्य अवधि में यह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, और हर एक व्यक्ति से मिलने वाला सहयोग बहुत स्वागतयोग्य होगा।

मैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल और ऑक्सफैम से सम्बद्ध सहयोगी संगठनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि नई भारतीय संस्था, ऑक्सफैम इंडिया को उनका निरंतर सहयोग व विश्वास मिल रहा है। मार्च 2012 में, नई दिल्ली में ऑक्सफैम इंटरनेशनल बोर्ड की बैठक की मेजबानी करना और बोर्ड का भारत में स्वागत करना हमारे लिए बेहद गौरव का विषय रहा। यह देखकर मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता हुई कि बोर्ड के सदस्यों ने अपना कीमती समय देकर हैदराबाद, मुम्बई, पटना और दिल्ली में हमारे कार्यक्रमों को देखा और जिस भारत में हम रहते और काम करते हैं उसके दोनों पहलुओं की सच्चाईयों और चुनौतियों को देखा।

अंत में, मैं ऑक्सफैम इंडिया बोर्ड के अपने सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑक्सफैम इंडिया के प्रशासकीय ढांचे के लिए जरूरी दृष्टिकोणों को शामिल करने में अपना भरपूर योगदान दिया। मैं नेतृत्वकर्ताओं और कर्मचारियों का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने हमारी कार्यनीति को क्रियान्वित करने में पूरे उत्साह के साथ अपना योगदान दिया है। और इससे आगे बढ़कर मैं अपने प्रत्येक दानदाता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 'सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार' देने वाले भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इस साझे स्वप्न को साकार बनाने के लिए हमें आप जैसे सक्रिय नागरिकों व जिम्मेदार कार्पोरेट कंपनियों की मदद की आवश्यकता है।

Kiran Karnik

किरण कार्णिक
अध्यक्ष, ऑक्सफैम इंडिया

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

एक झलक,
इस तरह बीता वर्ष

ऑक्सफैम इंडिया का गतिविधियों से भरपूर एक और वर्ष समाप्त होने जा रहा है। ऑक्सफैम इंडिया को अब लगभग चार साल हो गए हैं। इस अवधि में, ऑक्सफैम से सम्बद्ध संगठनों की एक पूर्ण भारतीय संस्था, ऑक्सफैम इंडिया में एकीकरण पूरा हुआ, साथ ही इसकी नई कार्यनीति और संरचना निर्मित हुई और कर्मचारियों को भर्ती किया गया। यह ऑक्सफैम से सम्बद्ध 17 संगठनों के नेटवर्क, यानी ऑक्सफैम इंटरनेशनल का एक पूर्ण सदस्य है।

ऑक्सफैम इंडिया का एक व्यापक स्वप्न है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मानपूर्ण जीवन मिले। गैर–बराबरी व सामाजिक बहिष्कार की समस्या से जूझ रहे हमारे जैसे देश के लिए यह एक बेहद महत्त्वाकांक्षी स्वप्न है। यहां जाति, वर्ग, धर्म, परम्पराओं, नस्ल व अन्य कई कारणों के आधार पर अधिकांश लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए, हमें न केवल कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सामाजिक नजरिए में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि वे सक्रिय नागरिकों के रूप में इन मुद्दों से जुड़कर अधिक समावेशी व समानतापूर्ण समाज के निर्माण संबंधी चुनौती का सामना करने में भागीदार बन सकें।

इसे ध्यान में रखते हुए, ऑक्सफैम इंडिया ने हितगामियों (स्टेकहोल्डर्स) की एक अत्यन्त व्यापक और विविधतापूर्ण श्रृंखला को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस श्रृंखला में समुदायों, हमारी साथी संस्थाओं, अन्य राष्ट्रीय एवं स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाओं, आंदोलनों, मध्यम वर्ग के प्रतिनिधियों, युवाओं, कार्पोरेट घरानों और उनके कर्मचारियों, सरकार आदि को शामिल किया गया है। हम अपने सात लक्षित राज्यों–असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड और अपने चार लक्षित समूहों–दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों एवं महिलाओं – के लिए अपने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।

ऑक्सफैम इंडिया के लिए, व समग्र रूप से इस क्षेत्र के लिए, वित्त जुटाने का कार्य अभी भी एक चुनौती है क्योंकि विदेशी सहायता में कमी आती जा रही है और विकासशील गैर–सरकारी संस्थाओं के लिए परोपकारी मानसिकता के साथ दान देने की संस्कृति अभी अपने शुरुआती दौर में ही है। सेक्टर में शासन प्रणाली व वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने, और भारतीय दानदाताओं के बीच विश्वास निर्मित करने के लिए ऑक्सफैम इंडिया अपनी साथी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। आने वाले वर्षों में, निजी दानदाताओं से सहयोग पाने का आधार निर्मित करने के साथ ही हम अपने वित्तपोषण के स्रोतों का विविधीकरण भी करेंगे व अपने कार्यों के लिए निजी व सार्वजनिक, दोनों प्रकार के संस्थागत सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

एक पूर्ण भारतीय संस्था के रूप में बदलाव लगभग पूरा हो चुका है और हमें उम्मीद है कि ऑक्सफैम इंडिया, अब एक स्थायी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, एक पूर्ण भारतीय संस्था के रूप में परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका है और हमें उम्मीद है कि ऑक्सफैम इंडिया, अब एक स्थाई स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां हम अपने उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों के जरिए और बेहतर प्रभाव डाल सकेंगें। विगत वर्ष में ऑक्सफैम इंडिया को अधिक मजबूत व अधिक प्रभावपूर्ण बनाने की दिशा में निरंतर सहयोग एवं योगदान देने के लिए, मैं हमारे बोर्ड, हमारे दानदाताओं, हमारी साथी संस्थाओं, नेतृत्वकारी टीम और हमारे कर्मचारियों का आभार प्रकट करती हूं।

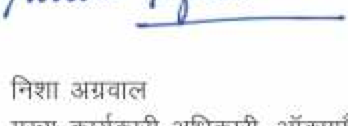

निशा अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑक्सफैम इंडिया

हमारे कार्यक्रम

ऑक्सफेम इंडिया के कार्यक्रम अधिकारों पर आधारित ढांचे पर आधारित्त हैं जो जमीनी स्तर के कार्यक्रमों को सहयोगी गैर–सरकारी संस्थाओं के जरिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पैरोकारी व नीति–निर्माण से जोड़ते हैं। ऑक्सफेम इंडिया के समस्त कार्यों की रूपरेखा, ऑक्सफेम के पांच व्यापक अधिकार आधारित उद्देश्यों हेतु ऑक्सफेम की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है: निरंतर आजीविका का अधिकार, मूलभूत सामाजिक सेवाओं का अधिकार, जीवन एवं सुरक्षा का अधिकार, अपनी फरियाद या मांग रखने का अधिकार और समानता, लिंग एवं विविधता का अधिकार।

आर्थिक न्याय, बुनियादी सेवाएं, लैंगिक समानता व मानवीय प्रतिक्रिया एवं आपदा जोखिम कम करना (DDR) जैसे चार क्षेत्रों में गरीबी एवं अन्याय के मूल कारणों का समाधान करने के लिए ऑक्सफेम इंडिया बुनियादी स्तर की 180 से अधिक एनजीओ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ऑक्सफेम इंडिया का कार्यक्रम सात राज्यों–असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, व उत्तराखण्ड –में एवं चार सामाजिक समूहों–दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों एवं महिलाओं –पर केन्द्रित है।

अपने समस्त कार्यों में ऑक्सफेम इंडिया विभिन्न समुदायों को सशक्त बनाने और सरकार को जिम्मेदार बनाने का प्रयास करता है। संगठन का यह भी विश्वास है कि जिम्मेदार कंपनियां विकास के एक अधिक समावेशी ढांचे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन युवाओं और बुजुर्गों, गरीबों एवं मध्यमवर्ग, ग्रामीण और शहरी लोगों की सक्रिय भागीदारी को वास्तविक बदलाव के प्रेरणास्रोत के रूप में देखता है।

उड़ीसा के देवगढ़ जिले में मुलारबहल ग्राम में गोंड जनजाति के एक परिवार को ऑक्सफेम इंडिया के कार्यों के कारण भूमि अधिकार प्राप्त हुए।

आर्थिक न्याय

ग्रामीण भारत में निरंतर आजीविकाओं का अधिकार, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर प्रबंधन एवं प्रशासन पर निर्भर है, क्योंकि दो–तिहाई भारतीय, अपनी आजीविका के लिए खेती, मछलीपालन व जंगलों पर निर्भर करते हैं। आर्थिक न्याय के मुद्दे के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के दो समूह इस प्रकार हैं: (क) छोटी जोतों वाली कृषि एवं जलवायु परिवर्तन, और (ख) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।

छोटी जोत वाली खेती व जलवायु परिवर्तन

इस वर्ष के दौरान, ऑक्सफैम इंडिया ने बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 25 सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया। इसके अतिरिक्त, संस्था ने इस मुद्दे के तहत राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य किया।

भूमि पर महिला किसानों की पहुंच व नियंत्रण को बढ़ाने के लिए, ऑक्सफैम इंडिया ने बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखण्ड में महिला किसानों के अभियान को मजबूत बनाया। इस प्रयास के कारण अकेले उत्तर प्रदेश में ही 59 जिलों के 549 गांवों से 13,500 से अधिक महिलाएं संगठित हुईं। साथ ही यह कार्यक्रम बिहार की 240 महिला किसानों तक भी पहुंचा। इसके फलस्वरूप 12,891 आवेदन दस्तावेज भी तैयार किए गए। इसके फलस्वरूप 196 महिलाओं ने निजी दस्तावेज व 330 महिलाओं ने संयुक्त दस्तावेज प्राप्त किए। उड़ीसा में, 80 भूमिहीन दलित महिलाओं ने अपना दावा प्रस्तुत किया और इसके फलस्वरूप सरकारी भूमि के वितरण हेतु नक्शा बनाने का कार्य भी शुरू किया गया। छोटी जोत के किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमने उत्तर प्रदेश में सब्जी उत्पादन करने वाली 2,600 से अधिक महिलाओं के लिए, और ओडिशा में 8,000 से अधिक मछुआरों के लिए तकनीकी प्रशिक्षणों के जरिए क्षमता निर्माण भी किया।

ऑक्सफैम इंडिया ने उत्तराखण्ड, ओडिशा और दिल्ली में राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श सभाएं आयोजित करने में सहायता की है। इसके साथ ही संगठन ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कृषि हेतु बेहद जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में भी सहयोग किया है। इस क्षेत्र में किया गया एक अन्य प्रयास सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करके पूंजी जुटाने के लिए समुदायों को प्रशिक्षित करना था, ताकि वे अपनी ग्रामीण आजीविका में वृद्धि कर सकें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), माहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और दुग्ध उद्यम विकास (DED) के जरिए प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया व संसाधन उत्पन्न किए गए।

ऑक्सफैम इंडिया, साथी संस्थाओं के साथ मिलकर उत्तराखण्ड व ओडिशा में जलवायु अनुकूल मॉडलों पर भी कार्य कर रहा है। हमने उत्तराखण्ड के टिहरी–गढ़वाल क्षेत्र में जल संरक्षण व आरंभिक मौसमी सब्जियों की खेती वाले मॉडलों पर प्रयोग करने के लिए 1,000 किसानों को सहयोग दिया है। ओडिशा में, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यप्रणाली के रूप में 657 एकड़ भूभाग में चावल का उत्पादन बढ़ाने की प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। बिहार और उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन पर राज्य की मसौदा कार्य योजनाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से हमने दो राज्य स्तरीय परामर्श सभाओं का आयोजन भी किया और यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

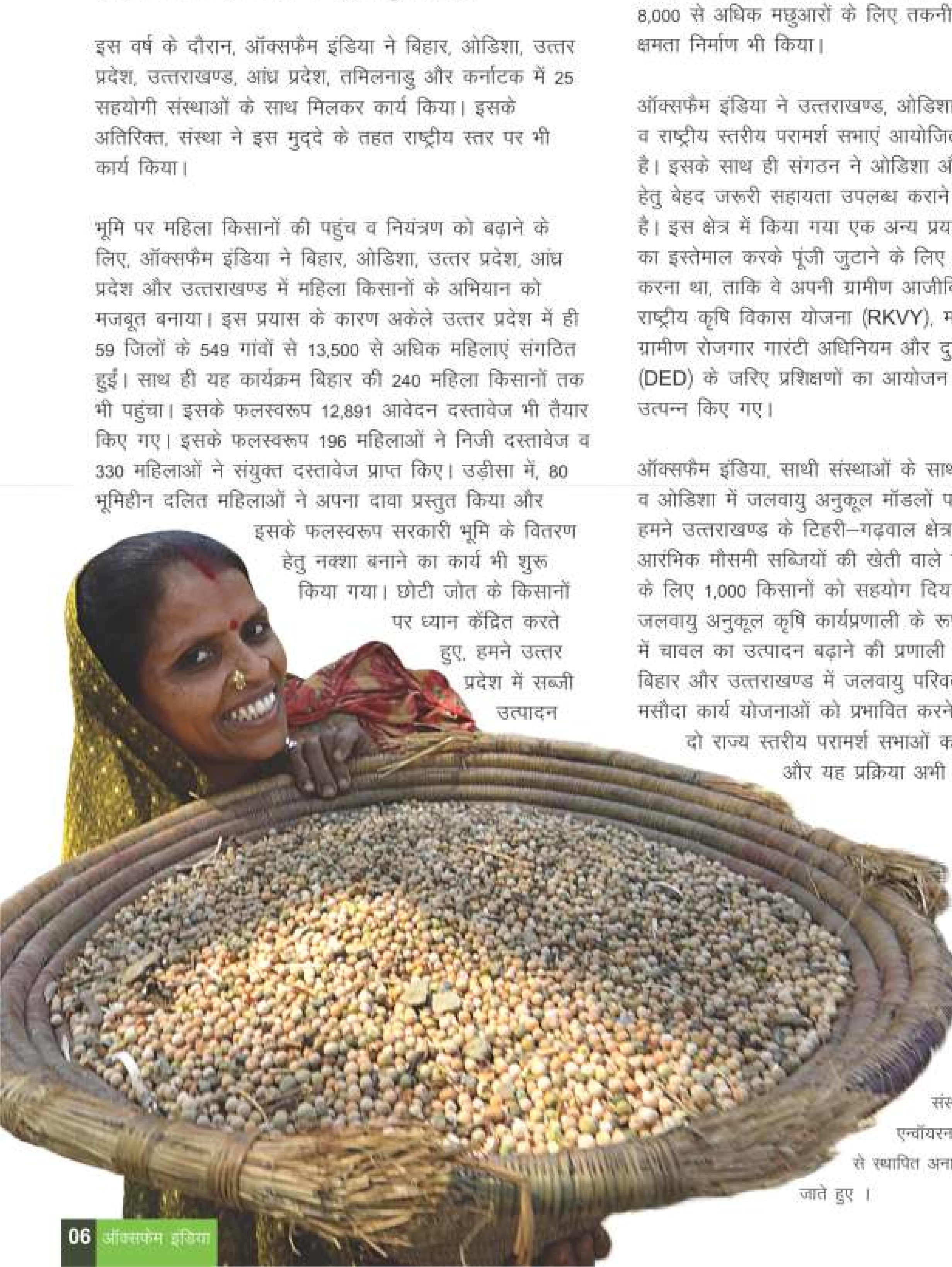

उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर के संदेकला गांव की मुक्ता देवी, हमारी सहयोगी संस्था जीईएजी (गोरखपुर एन्वॉयरनमेंटल एक्शन ग्रुप) के सहयोग से स्थापित अनाज बैंक में अपना अनाज ले जाते हुए ।

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

इस मुददे के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने व अभियान चलाने के जरिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखण्ड, और महाराष्ट्र में 30 साथी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया। इसके अतिरिक्त, ओडिशा, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर जनजातीय अधिकारों के संदर्भ में, वन संसाधनों के सुरक्षित संचालन के लिए बने वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा मिले अवसरों का उपयोग करते हुए गरीबों के लिए बने कानूनों का समर्थन करने के लिए ऑक्सफैम इंडिया के कार्यक्रम संबंधित पक्षों (हितधारकों) को सक्षम बना रहा है। इसका मुख्य उद्‌देश्य प्राकृतिक संसाधनों पर गरीबों को उनका अधिकार दिलाना है। ये कार्य वर्तमान में संसद में चल रहे दो विधेयकों पर केंद्रित हैं : खनन एवं खनिज विकास विनियमन (MMDR) विधेयक–2011 और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक (LARR)–2011।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, निजी वन अधिकारों हेतु स्वीकृत दावों की संख्या 3,555 तक पहुंच गई थी और सामुदायिक वन अधिकारों (CFRs) के लिए, समुदायों ने कुल 55 CFRs हेतु स्वीकृतियां प्राप्त कीं। जबकि इस अवधि के दौरान 26 अन्य मामले लम्बित रहे। ओडिशा में, इस वर्ष देवगढ़, कालाहांडी, बोलनगीर और नयागढ़ नामक चार जिलों में हमारे सहयोग से 179 निजी अधिकार और 2 सामुदायिक वन अधिकार दावे स्वीकृत किए गए।

विभिन्न गठबंधनों को एकजुट करने व साक्ष्य जुटाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक "CFR शिक्षण व पैरोकारी प्लेटफार्म (CFRLA)" को सशक्त बनाया गया है। इसके फलस्वरूप सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) पर नागरिकों की रिपोर्ट तैयार की गई और वन अधिकार अधिनियम (FRA) पर एक समर्पित वेबसाइट तैयार की गई है। क्षेत्रीय स्तर पर, "विदर्भ आजीविका मंच" नामक नेटवर्क द्वारा आवाज बुलंद किए जाने के कारण राज्य के वन सचिव ने 110 गांवों के वन संबंधी समस्त सामुदायिक दावों को एक माह की अवधि में निबटाने का निर्देश जारी किया। ओडिशा के कालाहांडी जिले में "ओडिशा जंगल मंच" नेटवर्क ने उप–जिला व जिला स्तरीय समितियों के 500 से अधिक दावों की स्थिति की बारीकी से निगरानी की।

ऑक्सफैम इंडिया के कार्यक्रम ने प्राकृतिक संसाधनों पर गरीबों का हक पक्का करने का ध्येय लेकर, गरीबों को अधिकार देने वाले कानूनों का समर्थन करने के लिए संबंधित पक्षों यानी हितगामियों को सक्षम बनाया।

MMDR विधेयक व LARR विधेयक पर टिप्पणी करने व संबंधित स्थायी संसदीय समितियों के समक्ष प्रमुख प्रश्न उठाने के लिए अपने नेटवर्कों को एकजुट करते हुए ऑक्सफैम इंडिया ने झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में परामर्श सभाओं का आयोजन करने की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने में भी सहयोग किया है।

ओडिशा के देवगढ़ जिले के मलारबहल गांव में वन से प्राप्त उत्पाद को दिखाता एक आदिवासी दंपति

'सभी के लिए खाद्य संबंधी न्याय' मिले, इस बात पर जोर देने वाला ऑक्सफैम इंडिया का ग्रो (**GROW**) अभियान 1 जून को छह शहरों – दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना और लखनऊ – में एक साथ शुरू किया गया।

भूख की रचनात्मक अभिव्यक्ति करके नयी दिल्ली में ग्रो (GROW) की शुरूआत

खाद्य न्याय अभियान

खाद्य संबंधी न्याय दिलाने वाला ग्रो (GROW) नामक अभियान अनियोजित खाद्य तंत्र के जवाब में ऑक्सफैम की एक वैश्विक प्रतिक्रिया है। इस विखंडित खाद्य तंत्र के कारण एक अरब से अधिक लोग रोजाना भूखे पेट सोते हैं, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं और खाद्य कीमतों में उतार–चढ़ाव बेकाबू हो जाता है। ऑक्सफैम इंडिया का ग्रो अभियान, 'सभी को खाद्य संबंधी न्याय' देने पर बल देता है। इसे 1 जून को छह शहरों–दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना और लखनऊ –में एक साथ शुरू किया गया।

हमने क्या सीखा?

अनेक स्तर पर गठबंधन बनाने का काम करना होगा। एक ओर विशाल जन आंदोलनों और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर साक्ष्य आधारित पैरोकारी के लिए ज्ञान आधारित नेटवर्कों को आपस में जोड़ने को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भोजन का अधिकार अभियान के राज्य चैप्टरों और सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नरों के स्टेट एडवाइजरों के सहयोग से, ऑक्सफैम इंडिया ने इस अभियान के एक अंग के रूप में, केंद्र द्वारा प्रायोजित खाद्य, पोषण, एवं आजीविका सुरक्षा कार्यक्रमों पर आधारित चार जनसुनवाईयों में सहयोग किया। ये कार्यक्रम थे – सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), मध्यान्ह भोजन योजना (MDM) व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) माहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस प्रक्रिया में शामिल प्रदेशों में बिहार–झारखण्ड, छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश–उत्तराखण्ड और ओडिशा–आंध्रप्रदेश रहे। छत्तीसगढ़ में आयोजित जनसुनवाई के बाद, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनेक परिवारों हेतु 25,685 राशन कार्डों को पुनःस्थापित करना, इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।

लम्बित खाद्य सुरक्षा विधेयक की पैरोकारी करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर के दो प्रमुख परामर्श सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें से एक में प्रमुख संसदीय सदस्य शामिल थे। इसके फलस्वरूप उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री, डॉ. के.वी. थॉमस, ने प्रमुख सिफारिशों और संक्षिप्त नीति पर औपचारिक संसदीय चर्चा कराने का वचन दिया।

उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी द्वारा थीम यानी विशयवस्तु पर आधारित गाने "रोटी रूठी" की ऑडियो सीडी का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मौजूद प्रतिष्ठित फिल्मकार श्री मुजफ्फर अली, जानी–मानी फैशन डिजाइनर सुश्री मीरा अली, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की महिला किसान सुरेशो सैनी, व ऑक्सफैम इंडिया, लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री नंद किशोर सिंह

बुनियादी सेवाएं

बुनियादी सेवाओं पर आधारित अपने कार्यक्रमों एवं अभियानों के जरिए ऑक्सफैम इंडिया का ध्यान शिक्षा एवं स्वास्थ्य–सेवा पर सबकी पहुंच होने के अधिकार पर है। हमारा ध्यान विभिन्न प्रणालियों द्वारा सार्वजनिक व निजी आपूर्ति प्रणालियों की जवाबदेही में सुधार करने में सशक्त समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित है।

शिक्षा

ऑक्सफैम इंडिया के शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौमिक व समावेशी आरंभिक शिक्षा प्रदान करने वाली मुख्यधारा की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली तक व्यक्तियों की पहुंच को बढ़ाना है। शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस समय हमारी 22 साथी संस्थाएं हैं, जो 9 राज्यों में व राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। बीते एक वर्ष में 350 स्कूलों में 34,000 बच्चों तक सीधी पहुंच बनाई गई, स्कूल से बाहर हो चुके 3,350 बच्चों को फिर से स्कूलों में भर्ती किया गया, जबकि 500 बच्चों ने साथी गैर–सरकारी संस्थाओं से मिले इनपुटों के जरिए अंतराल पूर्ति करने वाली सहायता प्राप्त की। लगभग 1,643 बच्चों ने स्कूल पश्चात दी जाने वाली उपचारात्मक सहायता प्राप्त की, 850 शिक्षकों को RTE अधिनियम के बारे में बताया गया, तथा इसका पालन करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। इसे इन राज्यों के 350 स्कूलों में ट्रैक किया गया। ओडिशा में, जनजातीय भाषाओं में पढ़ाने और जनजातीय छात्रों हेतु शिक्षण संबंधी मूल्यांकन करने की प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने पर हमारा फोकस है। राजस्थान सरकार, हमारी साथी संस्था, बोध शिक्षा समिति, के सतत व समग्र मूल्यांकन (CCE) के प्रयोग को पूरे राज्य के 30,000 स्कूलों तक विस्तारित करने पर सहमत हुई है।

RTE अधिनियम को सफल बनाने में स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये समुदायों को सशक्त बनाती हैं। इससे वे स्कूलों की बेहतर निगरानी और प्रबंधन कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा में 500 स्कूलों के SMC सदस्यों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 3,400 एसएमसी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में लोकमित्र के प्रयासों से प्रशिक्षण व सहायता प्राप्त की, जिन्हें राज्य के संबंधित विभाग द्वारा उनकी विशेषज्ञता के कारण नियुक्त किया गया था। दिल्ली में 4,000 से अधिक सामुदायिक सदस्यों का क्षमता निर्माण किया गया। स्थानीय प्रशासन संस्थाओं के स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी प्रशासनिक निकायों के लगभग 1,100 पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों व 700 जिला परिषद सदस्यों और पार्षदों को शामिल किया गया।

इंदिरा नगर, लखनऊ में एक स्कूल में एक छात्र। यह फोटो, एक फोटो प्रदर्शनी में भेजी गई थी। इसमें एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन (ASCO), लखनऊ के छात्रों से शिक्षा का अधिकार के मुद्दे पर फोटो खींचने को कहा गया था। प्रदर्शनी का आयोजन एमिटी के सहयोग से ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किया गया।

इस प्रक्रिया में हमने विभिन्न राज्यों के 30 विधानसभा सदस्यों (MLAs) को भी शामिल किया।

RTE फोरम लगभग 10,000 एनजीओ व सीबीओ का नेटवर्क है। इसके जरिए RTE अधिनियम को लागू करने से संबंधित एक बड़ा अभियान शुरू करने के इरादे से हमने राज्यीय व राष्ट्रीय स्तर के समूहों को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई है। इस प्रक्रिया में, अधिनियम की स्टेट्स रिपोर्ट तैयार की गई, व राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्टॉक टेकिंग आयोजन किए गए। शहरी गरीबों (दिल्ली में), दलितों (यूपी में), व आदिवासियों (झारखण्ड में) के अधिकारों के हनन का मसला, विभिन्न संदर्भों में विशेष केंद्र बिंदु रहा।

हमने बिहार, राजस्थान और झारखण्ड में राज्य सरकारों तक भी पहुंच बनाई। यूपी में 'मिलियन लाइट्स फॉर एजुकेशन राइट्स' शीर्षक से कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के 37 जिलों से लगभग 4,000 कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर इसका समापन राष्ट्रीय स्तर पर पूरी जानकारियां लेने और सार्वजनिक रैली के रूप में हुआ। इसमें 14 राज्यों से लगभग 3,000 लोग जुटे। इस तरह से शुरू हुई इस प्रक्रिया में आगामी वर्षों में खासी तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि RTE अधिनियम में प्रमुख उपलब्धियां हासिल करने की 'प्रथम तीन वर्ष' की समय सीमा, 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो रही है।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के क्रियान्वयन की निगरानी करने व स्वास्थ्य कार्यक्रमों में किए गए वित्तीय निवेशों की सघन बजट पड़ताल करने के लिए, ऑक्सफैम इंडिया के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का मकसद समुदायों और नागरिक समाज को सक्षम बनाना है। ऑक्सफैम इंडिया, प्रगतिशील राष्ट्रीय स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम व वाणिज्यिक निजी क्षेत्र के विनियमन की पैरोकारी भी करता है। हम इस समय 11 सहयोगी संस्थाओं व एक राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगी संस्था के साथ मिलकर 9 राज्यों में कार्य कर रहे हैं।

इस समय महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड एवं ओडिशा में NRHM के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने में समुदाय की भूमिका को मान्यता देने वाली सामुदायिक निगरानी गतिविधियां चल रही हैं। ये लगभग 6,00,000 ग्रामीण जनसंख्या को कवर करती हैं, जिनमें से अधिकांश कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। इस प्रक्रिया में, हमने 250 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां (VHSCs) कवर की हैं। ये समितियां जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की सामुदायिक निगरानी को आसान बनाने वाली जरूरी प्राथमिक संस्थाएं हैं। स्वास्थ्य अधिकारों की अवधारणा व सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के विषय में 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जागरूक किया गया। राजस्थान में, ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्था 'प्रयास' के द्वारा व्यवस्थित ढंग से बजट की रूपरेखा तय की गई। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में सामुदायिक स्कोर कार्ड भरे गए व इससे मिले नतीजों को सार्वजनिक बैठकों में उजागर किया गया। ये जवाबदेही प्रक्रियाएं स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के कार्यों में सकारात्मक और गुणात्मक बदलावों को प्रेरित करती हैं, जिनका प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता व जरूरी महत्वपर्ण श्रमशक्ति की मौजूदगी के रूप में दिखता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारी पैरोकारी के अंतर्गत ऑक्सफैम इंडिया की एक सहयोगी संस्था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच (स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच) विषय पर सिफारिशें देने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) हेतु सचिवालय की मेजबानी की। यह रिपोर्ट भारत में यूएएचसी के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यह प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत उपाय भी सुझाती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अन्य संगठनों के सहयोग से एक तुलनात्मक अध्ययन का आयोजन किया। यह बिहार और तमिलनाडु के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच बनाने पर आधारित था। इस अध्ययन से प्राप्त मुख्य नतीजे योजना आयोग द्वारा गठित स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों में दिखते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम की मांग पर जोर देने के लिए, नीतिगत स्तर पर हुए सकारात्मक विकास के पूरक के रूप में अनेक राज्यस्तरीय प्रयास किए गए। राजस्थान ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित फैसला किया। इस संदर्भ में राज्य में मुफ्त उपचार हेतु अभियान शुरू किया गया। इसी प्रकार, प्रयास की अगुवाई में छह मध्यवर्ती राज्यों में कार्यशालाओं के आयोजन किए गए। ये कार्यशालाएं स्वास्थ्य सेवा के अधिकार व मुफ्त दवाओं तक पहुंच बनाने के विषय पर आधारित थीं।

ऑक्सफैम इंडिया की सहयोगी संस्था 'प्रयास' के द्वारा राजस्थान में व्यवस्थित बजट ट्रैकिंग की गई। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में सामुदायिक स्कोर कार्ड भरे गए व बाद में निष्कर्षों को सार्वजनिक बैठकों में सामने रखा गया।

निजी क्षेत्र के विनियमन की आवश्यकता पर जोर देने के लिए भी ऑक्सफैम की साथी संस्थाओं द्वारा वर्ष के दौरान अनेक गतिविधियां की गईं। 'शमा' ने दिल्ली में 12 न्यासी अस्पतालों का एक केस अध्ययन तैयार किया। कंज्युमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (CUTS) ने भारत के दो राज्यों, छत्तीसगढ़ व असम में स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति में होने वाले कपटपूर्ण व्यवहार पर एक अध्ययन तैयार किया। इस रिपोर्ट को योजना आयोग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इसकी सिफारिशों को पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा बोर्ड में सम्मिलित किया जाएगा। सेंटर फॉर इन्क्वॉयरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स (CEHAT) ने महाराष्ट्र में 200 से अधिक निजी अस्पतालों पर आधारित एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें व्यवस्थागत अभावों के संदर्भ में मुख्य पैरोकारी संदेशों की ओर इंगित किया गया। ऑक्सफैम इंडिया ने 'प्रयास' के नेतृत्व में 'भारत के छह राज्यों में NRHM अवधि (2005–2010) के दौरान स्वास्थ्य सेवा में निष्प्रयोज्य भुगतानों के चलनों का अध्ययन' नामक एक अनुसंधान का आयोजन भी किया। अध्ययन की मुख्य सिफारिशों को एक राष्ट्रीय परामर्श सभा संबंधी आयोजन में तथा योजना आयोग के समक्ष उजागर किया गया। इससे बढ़ती स्वास्थ्य लागतों की तरफ ध्याना खींचा गया।

रोगी कल्याण समिति की सक्रिय प्रेरणा के फलस्वरूप भनसपटि गांव की एक गर्भवती महिला, आलिया खातून बिहार के सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी नियमित जांच कराती हुईं।

बुनियादी सेवाओं हेतु अभियान

विभिन्न स्तरों में आपसी (क्रॉस–कटिंग) संबंध निर्मित करने हेतु, बुनियादी सेवाओं वाले अभियान प्रयासरत है। ये प्रादेशिक और राष्ट्रीय गठबंधनों की श्रृंखला के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया के लिए प्रारूप को प्रभावित करने, अधिक समावेशी बजट हेतु दबाव बनाने, व बहिष्कृत समूहों के अधिकारों पर अधिक ध्यान दिए जाने की मांग करते हुए उनकी आवाज़ जोरदार बनाने पर साल भर ध्यान केंद्रित किया गया।

ऑक्सफैम इंडिया ने वादा न तोड़ो अभियान (WNTA) का समर्थन किया। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु दृष्टिकोण पत्र पर नागरिक समाज से इनपुट प्राप्त करने पर केंद्रित था। इसके साथ ही देश भर में 16 परामर्श सभाएं आयोजित करने के लिए इनपुटों को 'दृष्टिकोण साम्यः दृष्टिकोण पत्र हेतु सोसाइटी के इनपुट –12वीं पंचवर्षीय योजना' नामक एक प्रकाशन के रूप में संकलित किया गया। इसे योजना आयोग, राज्य योजना बोर्डों, जिला योजना समितियों के सदस्यों व संबंधित वरिष्ठ नौकरशाहों व मंत्रालयों (राज्य व केंद्र के) व अकादमिक संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 850 समूह सीधे तौर पर शामिल हुए। WNTA ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र के मामले में लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए एक समारोह का आयोजन भी किया गया। प्रस्तावित योजना पर नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रस्तुत समालोचना को संकलित किया गया और इसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नाइन इज माइन अभियान के संचालन के हिस्से के रूप में शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए जीडीपी को 9 प्रतिशत आवंटित करने की मांग करते हुए पूर्वोत्तर, दक्षिण और उत्तर भारत के बच्चों ने दिल्ली की ओर 'नौ कदम यात्रा' नामक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने असुरक्षित बच्चों, जैसे आदिवासी (जनजाति) बच्चों, दलित बच्चों व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए 'बच्चों की सुनवाई' आयोजित की। बाद में, 2,000 से अधिक बच्चों ने राष्ट्रीय बजट से पहले इन मांगों पर विचार करने हेतु दबाव बनाने के लिए एक सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया।

पीपुल्स बजट इनीशिएटिव (PBI) के अंग के रूप में, ऑक्सफैम इंडिया ने सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटिबिलिटी (CBGA) के साथ मिलकर पुणे, हैदराबाद, रांची, गुवाहाटी और

दलितों हेतु सामाजिक व्यय बढ़ाने की मांग करने के लिए जंतर–मंतर पर बजट अधिकार आंदोलन द्वारा आयोजित एक रैली

लखनऊ में पांच क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने में मदद की, जो केंद्रीय बजट पर होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रक्रिया के अंग थे। लगभग 300 नागरिक समाज संगठनों ने केंद्रीय बजट 2012–13 विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। लोक–केंद्रित बजट बनाने हेतु मांगपत्रक को विविध हितगामियों के समक्ष रखा गया। इनमें संसद सदस्य, संबंधित मंत्रालयों, विभागों व योजना आयोग के नौकरशाह और बड़ी संख्या में नागरिक समाज संगठनों के अलावा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

जवाबदेही पर निरंतर फोकस करते हुए ऑक्सफैम इंडिया ने मध्य प्रदेश के कम्पोजिट परफार्मेंस इंडेक्स पर नीति संबंधी मुख्य बातें प्रकाशित करने के लिए नेशनल सोशल वॉच का सहयोग भी किया। इसमें सदन में उपस्थिति, उठाए गए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न, बहसों में भागीदारी व सदस्यों द्वारा उठाए गए निजी विधेयक जैसे मसले शामिल थे।

ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्था नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑफ दलित आर्गनाइजेशंस (NACDOR) द्वारा भारतीय औद्योगिक परिसंघ (CII) पर बनाए गए दबाव के फलस्वरूप, CII ने घोषणा की कि इसके चैम्बर सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदायों के 50,000 लोगों को स्वेच्छा से नियुक्त करेंगे और सदस्य कंपनियां, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों से मिलने वाली प्राप्तियों को 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाएंगी। CII ने यह घोषणा भी की कि वर्ष के दौरान कौशल विकसित करने वाले कार्यक्रमों के जरिए अनुसूचित जाति/जनजाति के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

हमने क्या सीखा?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सरकारों पर दबाव बनाने के लिए, स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) के तत्वाधान में समुदायों की भावी एकजुटता का मार्ग प्रशस्त करने की प्रबल संभावनाएं उभर रही हैं। इसी प्रकार, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) की रिपोर्ट के साथ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए लोगों के अधिकारों हेतु सार्वजनिक आंदोलन खड़ा करने के लिए फिर से एक महत्त्वपूर्ण अवसर है।

लैंगिक न्याय

ऑक्सफैम इंडिया के लैंगिक न्याय संबंधी मुद्दे में दो बड़े कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं : महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (**VAW**) व महिलाओं का राजनैतिक सशक्तीकरण (**PEW**)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा संबंधी कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य है –नीतियों एवं व्यवहारों के जरिए हिंसा की सामाजिक स्वीकार्यता को घटाना व हिंसा को प्रेरित करने वाले सामाजिक विश्वासों एवं प्रणालियों में बदलाव लाना। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण का लक्ष्य राजनैतिक व प्रशासनिक संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को बढ़ाना है। वर्ष 2011–12 में, 34 साथी संस्थाओं व 3 राष्ट्रीय स्तर की साथी संस्थाओं के साथ मिलकर ऑक्सफैम इंडिया ने 13 राज्यों में कार्य किया। इन साथी संस्थाओं में से 9 सहयोगी संस्थाएं, 'हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त कर सकते हैं' अभियान में भागीदार रहीं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

इस समय ऑक्सफैम इंडिया की सहयोगी संस्थाएं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में राज्य के गृह विभाग व राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से 18 महिला सहायता केंद्रों का संचालन कर रही हैं, जिन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार 12,000 से अधिक महिलाओं की सहायता की है। गुजरात के 6 जिलों में, छह कानूनी सहायता केंद्रों ने विपत्तिग्रस्त महिलाओं को सहायताएं उपलब्ध कराईं। ये केंद्र, हिंसा की शिकार महिलाओं को परामर्श, कानूनी मदद, चिकित्सकीय सहायता व आश्रय उपलब्ध कराते हैं। हैदराबाद में टोल फ्री भूमिका नामक टेली–हेल्पलाइन (1800 425 2908) ने वर्ष के दौरान 3,000 कॉलें प्राप्त कीं और परेशान महिलाओं को कानूनी सलाह प्राप्त करने में मदद की और साथ ही उन्हें सहायता करने वाली विभिन्न एजेंसियों के पास भेजा।

VAW कार्यक्रम ने समुदायों तक पहुंच बनाते हुए, उन्हें घरेलू हिंसा के मुद्दों पर जागरूक किया और उन्हें महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्थाओं ने 7 राज्यों के लगभग 30 जिलों तक पहुंच बनाते हुए, ग्राम, पंचायत और जिला स्तरों पर 250 सामुदायिक संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस समय ये संस्थान अपने स्थानीय क्षेत्रों में जागरूकता फैला रहे हैं और घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमियों वाली 7,500 महिलाओं को सहायता दी गई। 'हम महिलाओं के विरूद्ध हिंसा समाप्त कर सकते हैं' (भारत) अभियान इस समय 13 राज्यों तक फैला हुआ है। इन राज्यों में समाज के समस्त वर्गों के 2.7 मिलियन लोगों ने इस अभियान में हस्ताक्षर किए। यह अभियान ऑक्सफैम के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय अभियान का एक अंग है। इस अभियान के रोचक पोस्टर और संदेश, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मसले पर जागरूकता बढ़ाने और जनमत बनाने की दिशा में हमेशा ही बहुत प्रभावी रहे हैं।

सकारात्मक बदलाव के पैरोकार के रूप में, ऑक्सफैम इंडिया और ओडिशा के नागरिक समाज संगठनों के एक राज्य स्तरीय गठबंधन ने साक्ष्य आधारित अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष PWDV अधिनियम को लागू करने से संबंधित महत्त्वपूर्ण मसले उठाए। इसमें उजागर किए गए कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे : न्यूनतम 60 दिनों में मामलों का निस्तारण न किया जाना, मानव संसाधन का अभाव, अपर्याप्त बजट आवंटन व सहानुभूतिरहित कानूनी सेवाएं और न्यायपालिका। ऐसे ही प्रयास ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्थाओं द्वारा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और गुजरात में भी किए गए। ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्थाएं जिन राज्यों में संसाधन एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं, वहां उनके इन प्रयासों से प्रेरित होकर राज्य सरकारों ने संबंधित अधिकारियों के लिए, अधिनियम के प्राविधानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

ऑक्सफैम इंडिया ने कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न विषय पर, लॉयर्स कलेक्टिव के सहयोग से लखनऊ, मुम्बई और भुवनेश्वर में तीन बहुपक्षीय क्षेत्रीय परामर्श सभाओं का आयोजन भी किया। आयोजित चर्चा में, कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित विधेयक के प्रारूप पर प्रतिक्रियाएं मांगी गईं। इसे संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

महिला सहायता केंद्र व ऑक्सफैम इंडिया, लखनऊ की आईपीएपी साथी संस्था 'हमसफर' द्वारा आयोजित लिंग संवेदन कार्यक्रम के लिए युवा दल का सदस्य रंजीशा पोस्टर तैयार करते हुए

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण

स्थानीय पंचायतों, ग्राम सभाओं और पालिका निकायों जैसी प्रशासनिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके समूहों को सक्षम बनाना, ऑक्सफैम इंडिया और इसकी साथी संस्थाओं का मुख्य कार्य रहा है।

ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्थाओं के सहयोग से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, 21 बैगा (देशी समूह) महिलाओं ने चुनाव लड़ा और स्थानीय प्रशासनिक चुनावों में निर्वाचित हुईं।

महाराष्ट्र में, 5 जिलों में संबंधित सहयोगी संस्था– युवा रूरल ने युवा महिलाओं के समूह महिला विकास परिषद को 5 जिलों में समर्थन दिया और स्थानीय प्रशासनिक निकायों में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया। मध्य प्रदेश में साथी संस्था संगठन, 'प्रदान' ने महिलाओं के समूह, नर्मदा महिला संघ को घरेलू हिंसा के मुद्दों व स्थानीय प्रशासन प्रणालियों की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षण सहायता प्रदान की। झारखण्ड में, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार (ii) संबंधी अधिनियम पर दिए गए प्रशिक्षण ने 164 निर्वाचित प्रतिनिधियों को पेसा पंचायत की बैठकों में भागीदारी करने व महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सक्रियतापूर्वक उठाने के लिए सशक्त किया।

हमने क्या सीखा?

राज्य सरकारों के साथ ऑक्सफैम इंडिया द्वारा समर्थित गठबंधन आधारित पैरोकारी प्रयासों ने अग्रसक्रिय सरकारी कार्यवाहियों के रूप में परिणाम प्रदान किए। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण (**PWDV**) अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर पैरोकारी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समूह निर्माण में सहयोग प्रदान करना आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से प्रगति की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम होगा। महिला सहायता केंद्रों की दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ रही है, लेकिन कुछ केंद्र आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से मामले प्राप्त कर रहे हैं। एकीकृत बाल विकास योजना (**ICDS**), स्वास्थ्य एवं पंचायतों जैसे अन्य विभागों का सहयोग लेने से दूर–दराज के इलाकों में स्थित सहायता केंद्रों के प्रचार–प्रसार में सहायता मिल रही है।

ऑक्सफैम इंडिया की सहयोगी संस्था, विकल्प संस्थान, की अष्टि ग्राम, महाराष्ट्र की प्रतिनिधि उषा चौधरी, जो महिला विकास परिषद (MVP) के कार्य पर चर्चा करने के लिए आयी थीं। MVP, महिलाओं का विकास मंच है। इसे ऑक्सफैम इंडिया की सहयोगी संस्था– युवा रूरल द्वारा स्थापित किया गया और सहयोग दिया गया है।

मानवीय राहत कार्य व डीआरआर

इस वर्ष हमारा कार्य पूर्वी भारत में आई बाढ़ के लिए किए गए राहत कार्यों पर केंद्रित रहा। बाढ़ ने तीन राज्यों, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को प्रभावित किया। हमारे कार्य जल व स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने व आश्रय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित थे, जिससे इन तीन भिन्न प्रदेश के असुरक्षित समुदायों के पुनर्स्थापन कार्य में सहयोग मिला।

मानवीय सहायता

वर्ष 2011–12 में, हमने 51,000 से अधिक लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित 3 राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा) की 3 आपदाओं में प्रतिक्रिया की। इस वर्ष दो बड़ी आपात स्थितियों पर ध्यान केंद्रित रहा–माल्दा जिले (पश्चिम बंगाल) में बाढ़ के कारण हुए विनाश पर और धीमाजी जिले (असम) में आए विध्वंसकारी बाढ़ पर। ऑक्सफैम इंडिया ने पिछले चार महीनों में, 9,436 परिवारों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, आपातकालीन आश्रय और बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराईं। इस प्रक्रिया में, हमने अस्थायी शौचालय व स्नानघर बनवाए, बाढ़ के दौरान व बाढ़ रहित समय में स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल लगवाए। हमने प्रभावित समुदायों में स्वच्छता किटें भी वितरित कीं जिनमें साबुन, सैनिटरी पैड आदि वस्तुएं शामिल थीं।

दीर्घकालीन आपदा जोखिम कम करने से जुड़ा हमारा कार्यक्रम

ऑक्सफैम इंडिया तीन अन्तर्सम्बंधित कार्यनीतियों– विकास, मानवीय सहायता व अभियानों –के जरिए अपनालक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। ऑक्सफैम इंडिया का राष्ट्रीय DRR कार्यक्रम इन्हीं पर आधारित है।

हमारा आपदा जोखिम कम करने वाला कार्यक्रम 15 साथी संस्थाओं के सहयोग से 5 राज्यों में संचालित होता है। इस कार्यक्रम के जरिए इसने असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश में 3,13,229 लोगों को सहयोग और सहायता प्रदान की है। इसके अलावा आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में गरीबों को निरंतर सहायता प्रदान की जाती है जिसके लिए पुनर्स्थापन निर्माण कार्य के प्रमुख घटक निम्न हैं:

I. कृषि जोखिम व फसलों की हानि घटाने के लिए कृषि तकनीकों, प्रौद्योगिकी में सुधार करना; आय संवर्धन–आपदा प्रतिरोधी कृषि, व बाढ़मुक्त रबी फसल जैसे आजीविका कार्यक्रमों द्वारा समुदाय को सहयोग प्रदान करना।

II. विपदा का सामना करने की कार्यप्रणालियों व जोखिम की पूर्वतैयारियों को मजबूत बनाना– 12,000 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रतिरोधक स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता संबंधी बेहतर आदतों व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रेरकों के रूप में सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षित भी किया गया।

III. जोखिम घटाने के लिए आजीविकाओं का विविधीकरण करना : ग्रामीण लोग, खासकर महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम आजीविका व आय अर्जन परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित किया गया।

IV. सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन व DRR के समावेशन का समर्थन करना, व सर्वाधिक आवश्यकता वाली जगहों पर उत्कृष्ट सहायता प्रदान करना।

हमारी साथी संस्था GEAG द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मकनहा गांव में शुरू की गई समय एवं स्थान प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत, आदर्श किसान राजेन्द्र और उनकी पत्नी भानुमती तरबूज की फसल दिखाते हुए

पैरोकारी एवं अभियान का संचालन

ऑक्सफैम इंडिया ने अपने मानवीय राहत कार्य और जोखिम कम करने से जुड़े कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए पैरोकारी और अभियान संचालन कार्य को एकीकृत किया है। अपनी रणनीति के अंग के रूप में, हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), रेडआर, स्फेयर इंडिया व यूनिसेफ के साथ कार्य किया।

हमने विभिन्न राज्य सरकारों व उनके संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों (PHEDs) के कार्मियों की क्षमता का मूल्यांकन करने और आकस्मिक नियोजन आकलन में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उनके साथ भी कार्य किया। ये कार्य असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में किए गए। उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में ऐसे अन्य मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित हैं।

DRR कार्यक्रम के अंग के रूप में असम के मोरीगांव जिले में ऑक्सफैम इंडिया के राज्य स्तरीय सहयोगी मोरीगांव महिला महफिल द्वारा वितरित सोलर लैम्प की सहायता से एक 9 वर्षीय आदिवासी बालिका, बीबारी हजूरी अपनी मां की निगरानी में अध्ययन करती हुई।

ऑक्सफैम इंडिया के आपदा प्रबंधन कार्यक्रम द्वारा स्थानीय सहयोगी संस्था सोलर की सहायता से लगवाए गए ऊंचे हैंडपम्प का उपयोग करती उड़ीसा के पुरी जिले के गौरचंद्र गांव की छात्राएं।

हमने क्या सीखा?

मानवीय राहत कार्य को दीर्घकालीन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के साथ संयोजित करना सफलतादायक हो सकता है। उदाहरण के लिए: धीमाजी में संचालित कार्यक्रम को आपदा प्रतिक्रिया से जोडा गया। मानवीय सहायता केंद्रीय कार्यालय, कोलकाता में नियुक्त अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों को आपदा राहत मिशन के लिए फील्ड में त्वरित गति से नियुक्त किया गया।

उभरते मुद्दे

अपनी प्रथम पंचवर्षीय रणनीति के अंग के रूप में ऑक्सफैम इंडिया ने कुछ उभरते मुद्दों की योजना बनाई है, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारे विकास कार्यों में उनका महत्त्व बढ़ रहा है। अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित नहीं होने के बावजूद, यह पाया गया है कि वे भारत में व भारत के बाहर विकास के बदलते आयामों की झलक देती हैं और जब तक हम इन मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण कार्य करना आरंभ नहीं करते, तब तक चार मुख्य मुद्दों पर किया गया हमारा नियमित विकास कार्य अधूरा ही रहेगा। इसलिए, हमने उभरते हुए प्रमुख मुद्दों, जैसे कि शहरी गरीबी, भारत एवं विश्व, युवा एवं सक्रिय नागरिकता, सांप्रदायिकता व शांति स्थापना पर भी कार्य करने का निश्चय किया है।

लखनऊ के मोहिबुल्लापुर नामक एक नगरीय गांव में ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्था विज्ञान फाउंडेशन द्वारा समर्थित अपनी ज़रदोजी कार्यशाला में अपने सहकर्मियों के साथ नूर आलम

शहरी गरीबी

ऑक्सफैम इंडिया ने 4 राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व कर्नाटक) व 15 शहरों में इस उभरते मुद्दे के अंतर्गत 20,000 परिवारों तक सीधे पहुंचने के लिए 7 साथी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया। इसका ध्यान मुख्य रूप से घरविहीन, फुटपाथ पर रहने वालों और कूड़ा बीनने वालों से संबंधित मुद्दों पर है और आश्रय देने की उनकी मांग को सशक्त बनाने व विविध बुनियादी सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान साक्ष्य की व्यवस्था कराने हेतु मदद करने पर केंद्रित है। इसे संसाधन केंद्रों को संगठित करके (जैसे कि यूपी में) व हेल्पलाइनों (जो राजस्थान में लेबर लाइनें कहलाती हैं) की व्यवस्था द्वारा स्थानीय पालिका प्रशासन का ध्यानाकर्षण करते हुए किया गया और कामगारों को विभिन्न बैनरों के तहत संगठित होने में मदद की गई।

शहरी गरीबी तेजी से बढ़ रही है और श्रमिकों के प्रवासन व अनौपचारिकीकरण के कारण यह समस्या अधिक चरम पर पहुंच रही है।

इस प्रक्रिया में, उत्तर प्रदेश में लगभग 1,300 शहरी गरीबों ने राज्य निर्वाचन आयोग व क्षेत्रीय आधार कार्यालय से सक्रिय समन्वय के जरिए विविध पहचान पत्र, जैसे कि मतदाता पहचानपत्र, राशन कार्ड, UIDs आदि प्राप्त किए। कर्नाटक में 5,000 कूड़ा बीनने वालों को पहचानपत्र दिए गए और उनके स्वास्थ्य का बीमा किया गया व सुरक्षात्मक वस्तुएं दी गईं। राजस्थान में, 300 से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाए गए।

राजस्थान में आजीविका ब्यूरो द्वारा सहायता प्राप्त कॉल सेंटर, 'लेबर लाइन' ने 725 कॉलें प्राप्त कीं और लगभग 120 श्रमिकों के पक्ष में श्रम संबंधी विवादों का सीधा निबटारा करते हुए उन्हें लाभान्वित किया। उत्तर प्रदेश में, स्थानीय प्रशासन से हमारे सक्रिय जुड़ाव के कारण अत्यधिक ठंड के मौसम में 23 स्थायी रैनबसेरे स्थापित किए गए।

हमने एक पंजीकरण प्रक्रिया के जरिए श्रमिकों को संगठित किया जिसके अंतर्गत अकेले राजस्थान में ही 1,700 श्रमिकों को राज्य श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराया गया। राजस्थान में हमारी साथी संस्था 'आजीविका' ने अभी तक 63,000 श्रमिकों का पंजीकरण कराया है। उत्तर प्रदेश में, हमने मुख्य मांगों, जैसे कि जनगणना 2011 में समाहित किए जाने, को लेकर एकल बैनर के तहत 3,200 से अधिक श्रमिकों को एकजुट किया जबकि महाराष्ट्र में, 700 से अधिक कूड़ा बीनने वाले लोगों ने कूड़ा बीनने वालों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित किए जानेकी मांग करते हुए खुद को संगठित किया।

भारत एवं विश्व

कार्य की यह दिशा, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा अपनाया गया एक नया कार्यक्षेत्र है और अभी विकास के चरण में है। भारत में गरीबी और अन्याय को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों, व गरीबों के पक्ष में विकास एजेंडा के लिए प्रमुख वैश्विक संस्थाओं, जैसे कि जी20, (BRICS) ब्रिक्स आदि में भारत की भूमिका को प्रभावित करना इस कार्यक्रम का ध्येय है।

2011 में कांस में आयोजित जी20 सम्मेलन के मद्देनजर ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी अनेक सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से खाद्य सुरक्षा व कृषि, अभिनव वित्तपोषण, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) और जी20, कर संबंधी न्याय, स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी वित्तपोषण आदि पर अवस्थिति पत्र (पोजीशन पेपर) तैयार किया हैं। भारतीय नागरिक समाज के प्रमुख नीतिगत आग्रहों को शामिल करने वाला एक दस्तावेज भी देश के भीतर और बाहर स्थित विविध भारतीय सरकारी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है।

जून, 2012 में मेक्सिको में आयोजित होने वाले जी20 सम्मेलन की पूर्व तैयारी में, वैश्विक जी8/जी20 कार्यदल ने फरवरी में एक तीन दिवसीय वैश्विक नागरिक समाज नियोजन एवं रणनीति बैठक का आयोजन किया। इसमें ऑक्सफैम इंडिया ने भी भाग लिया। इस बैठक के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा, कर संबंधी न्याय, हरित संवृद्धि और अवसंरचना आदि मुद्दों पर वैश्विक नागरिक समाज के नीतिगत आग्रहों का जी20 के लिए मेक्सिको के विदेश मंत्रालय व शेरपा के समक्ष व अन्य प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया।

2011 में कांस में आयोजित जी20 सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी अनेक सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से खाद्य सुरक्षा व कृषि, अभिनव वित्तपोषण, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) और जी20, कर संबंधी न्याय, स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी वित्तपोषण आदि पर अवस्थिति पत्र (पोजीशन पेपर) तैयार किए हैं।

ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय युवा साझीदारी कार्यक्रम (ऑक्सफैम इंटरनेशनल यूथ पार्टनरशिप्स प्रोग्राम) की भारतीय कार्यवाही साझीदार (एक्शन पार्टनर), नयी दिल्ली में आयोजित एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला में बातचीत करती हुई।

युवा और सक्रिय नागरिकता

ऑक्सफैम इंडिया के युवा और सक्रिय नागरिकता कार्यक्रम का लक्ष्य सतत एवं प्रभावशाली लोकतंत्रों के निर्माण के लिए समाज में युवाओं की भागीदारी और विकास को सुगम बनाते हुए उनके मानवाधिकारों को संरक्षित करना, प्रोत्साहित करना और उन्नत बनाना है। अपने शुरूआती चरण में इस कार्यक्रम का ध्यान वर्तमान में ऐसी कार्यनीतियां बनाने और संगठनों का समर्थन करने पर है जो सामाजिक बदलाव लाने के लिए युवाओं के विकास की गति को तेज कर सकें।

इस समय, हम 2 राज्यों में 2 संगठनों के साथ, व राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल यूथ पार्टनरशिप्स के साथ कार्य करते हैं। हालांकि वर्ष 2011–12 के दौरान हमने युवाओं द्वारा संचालित और उनके नेतृत्व वाले 10 संगठनों की सक्रिय नागरिकता की दिशा में युवाओं के क्षमता निर्माण संबंधी उनके प्रयासों में भी भागीदारी की और सहयोग दिया और देश भर के लगभग 5,000 युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई।

ऑक्सफैम इंडिया ने ऑक्सफैम इंटरनेशनल यूथ पार्टनरशिप्स (ओआईवाईपी) के भारतीय एक्शन पार्टनरों के लिए प्रथम युवा सक्षमता एवं कौशल सृजन कार्यशाला का भी आयोजन किया। कार्यशाला में ऑक्सफैम इंडिया के लघु अनुदान कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम ने ओआईवाईपी के भारतीय एक्शन पार्टनरों को उनके क्षेत्र में सामाजिक बदलाव लाने हेतु निर्दिष्ट की गई महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए समर्थन दिया। ऑक्सफैम इंडिया ने उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय शिक्षा प्रणाली के विभिन्न आयामों से जुड़े तीन नए उद्यमों को सहयोग दिया। कुल मिलाकर तीनों कार्यक्रमों ने 2,000 से अधिक संबंधित लोग को लाभ पहुंचाया और जोड़ा। इनमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल थे। कार्यक्रम ने वर्ष 2011–2012 के दौरान ऑक्सफैम इंडिया के अन्य मुद्दों के साथ विभिन्न मुद्दों पर एक साथ काम करने वाले संगठन के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। हमने दिल्ली में शहरी पुनर्स्थापित कॉलोनियों में 150 युवाओं को सक्षम बनाकर बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत, और ऑक्सफैम इंडिया के संबंधित लक्षित राज्यों में उनके काम करने के लिए 10 इंटर्नशिप प्रदान करते हुए, आर्थिक न्याय कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रम को समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त, हमने युवाओं से जी20 संवाद श्रृंखला आयोजित करते हुए भारत एवं विश्व कार्यक्रम में भी सहयोग दिया।

ऑक्सफैम इंडिया ने ऑक्सफैम इंटरनेशनल यूथ पार्टनरशिप्स (**OIYP**) के भारतीय एक्शन पार्टनरों के लिए प्रथम युवा सक्षमता एवं कौशल सृजन कार्यशाला का भी आयोजन किया।

सांप्रदायिकता एवं शांति स्थापना

भारतीय संविधान में सुस्थापित धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक मूल्यों में ऑक्सफैम इंडिया की गहरी आस्था है। इसका मानना है कि धर्मनिरपेक्षता, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। इसका यह भी मानना है कि संघर्ष, न केवल विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं बल्कि गरीबों व वंचितों को अत्यधिक प्रभावित भी करते हैं। ऑक्सफैम इंडिया का यह भी मानना है कि सांप्रदायिकता एक मुद्दा है। इसे विकास प्रक्रिया के सभी योगदानकर्ताओं की सामान्य संवेदनशीलता का अंग बनाया जाना चाहिए, चाहे उनका कार्यक्षेत्र जो भी हो।

पिछले दो वर्षों के दौरान संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं व आगे की कार्यवाही के जरिए, ऑक्सफैम इंडिया ने धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक विचारों को आगे बढ़ाने में अपनी सहयोगी संस्था, अनहद के साथ मिलकर कार्य किया है। इस वर्ष भी, इतिहास, अल्पसंख्यकों व लोकतंत्र को लेकर बने अनेक मिथकों को तोड़ने के लिए अनेक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। गुजरात, हरियाणा और बिहार में आयोजित आवासीय

इस वर्ष भी, इतिहास, अल्पसंख्यकों व लोकतंत्र से संबंधित मिथकों को तोड़ने के लिए अनेक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षणों में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचारों व भेदभाव को उजागर करने के लिए उनमें से अनेक ने तथ्य खोजी टीमों में हिस्सा लिया।

वर्ष 2002 में हुए गुजरात नरसंहार के दस वर्ष पूरे होने पर अनहद ने 'बोल कि सच जिंदा है अब तक' शीर्षक से एक तीन दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ष 2002 के दौरान हुई भयंकर हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही इसने गुजरात के पीड़ितों और विविध जीवन क्षेत्रों से संबंधित लोगों में व्याप्त प्रतिरोध की भावना को भी रेखांकित किया।

ऑक्सफैम इंडिया की साथी संस्था, अनहद ने कश्मीर में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया।

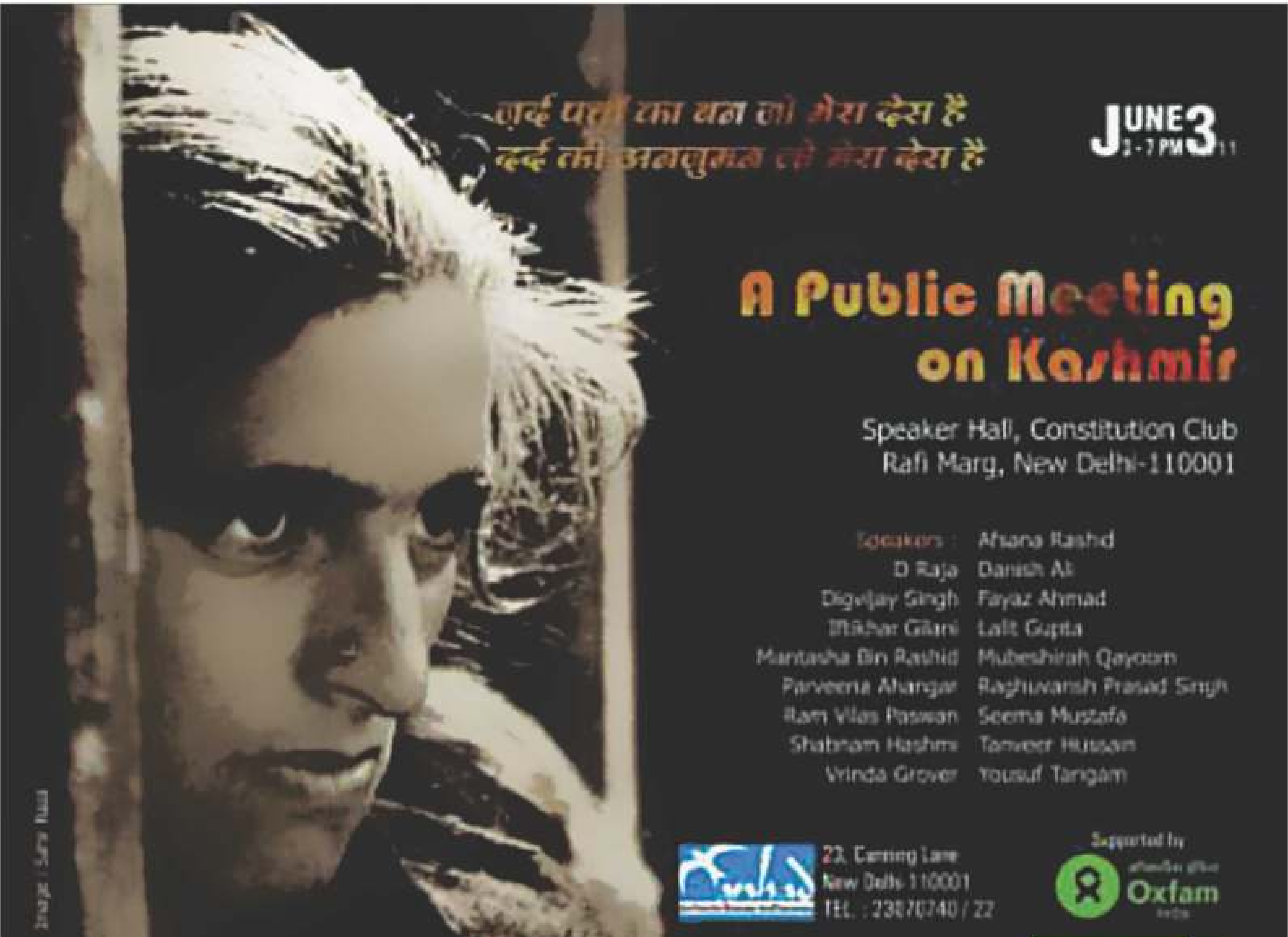

फरवरी, 2011 में बंगलुरु में आयोजित प्रथम ऑक्सफैम इंडिया ट्रेलवॉकर
में भागीदारी करती एक टीम

मार्केटिंग, वित्त जुटाना और संचार–संपर्क

वित्त जुटाने के मामले में वित्तीय वर्ष 2011–12, ऑक्सफैम इंडिया के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। ऑक्सफैम इंडिया ने एक मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास तो किया ही, साथ ही हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकात्मकता को बढ़ाने करने के क्रम में हमने मुख्यतः लोगों से संसाधन जुटाने के अपने प्रयास जारी रखे। वित्त जुटाने वाले कर्मचारियों को बनाए रखना व उनके द्वारा वित्त जुटाने के प्रभावी प्रयास किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना, निरंतर बड़ी चुनौतियां बनी रहीं।

वर्ष 2011–12 में संसाधन जुटाने के दो नए चैनलों की शुरुआत हुई–ट्रेलवॉकर और मासिक दान कार्यक्रम। इनमें से ट्रेलवॉकर ऑक्सफैम का वैश्विक हस्ताक्षर अभियान है, और मासिक दान कार्यक्रम, हमारे मौजूदा दानदाताओं को ऑक्सफैम इंडिया के और अधिक करीब लाते हुए निरंतर सहयोग करने को प्रेरित करता है। इस वर्ष, हमारी प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) व दानकर्ता प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से कुल ₹13.0 करोड़ की धनराशि उगाही गई।

व्यक्तिगत वित्त संचय

ऑक्सफैम इंडिया ने व्यक्तियों से दान प्राप्त करने के लिए विविध चैनलों जैसे कि फेस–टू–फेस, टेली–कॉलिंग, टेली–फेसिंग और बड़े दानकर्ताओं से संपर्क आदि का उपयोग किया। इन सभी चैनलों के लिए इसके पास अपनी इन–हाउस टीमें हैं और वित्त जुटाने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, जिनमें जुलाई/अगस्त में आयोजित एक प्रमुख इंडक्शन कार्यक्रम भी शामिल है।

वर्ष 2011–12 में संसाधन जुटाने के दो नए चैनलों की शुरुआत हुई–ट्रेलवॉकर और मासिक दान कार्यक्रम। इनमें से ट्रेलवॉकर ऑक्सफैम का वैश्विक हस्ताक्षर अभियान है, और मासिक दान कार्यक्रम, हमारे मौजूदा दानदाताओं को ऑक्सफैम इंडिया के और अधिक करीब लाते हुए निरंतर सहयोग करने को प्रेरित करता है।

इस वर्ष के दौरान, ऑक्सफैम इंडिया ने पांच नए वित्त संचयन कार्यालय इन्दौर, कोच्चि, चेन्नई, उदयपुर और नागपुर में शुरू किए। इससे ऑक्सफैम इंडिया के वित्त संचयन कार्यालयों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। ऑक्सफैम इंडिया ने इस प्रयोजन से पांच नई एजेंसियों को भी नियुक्त किया।

इसके बावजूद हमारा अनुभव है कि अपेक्षाकृत छोटे शहरों और कस्बों में हमारा विस्तार, उतना सफल नहीं रहा है जितना कि हमने सोचा था और अब हम अपनी विस्तार संबंधी कार्यनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और विकल्प रूप में एकीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे दर्जे के शहरों में न केवल कुशल वित्त संचयन कर्मचारियों की भारी कमी है, बल्कि परोपकार की संस्कृति भी अभी विकसित होनी है।

इस वर्ष, हमने 33,379 नए दानदाताओं को जोड़ा। इससे हमारे व्यक्तिगत दानदाताओं का आंकड़ा 1,18,000 के ऊपर पहुंच गया। हमने अपने मौजूदा दानदाताओं में से 6,539 को उन्नत और विकसित भी किया। उच्च आय वाले व्यक्तियों (ऐसे दानदाता, जिनका वार्षिक गिफ्ट आकार एक वर्ष में ₹15,000 से अधिक है) को लक्षित मेज़र डोनर प्रोग्राम को टियर–द्वितीय श्रेणी के शहरों तक में विस्तारित किया गया है और अब यह दिल्ली व बंगलुरु से संचालित होता है।

अगस्त, 2011 में ऑक्सफैम इंडिया ने मंथली गिविंग प्रोग्राम (MGP) आरंभ किया, जिसका लक्ष्य टिकाऊ आधार पर दीर्घकालीन समर्थक संबंध विकसित करना है। इससे निधि प्रवाह में स्थायित्व व सुनिश्चितता लाने में मदद मिलेगी, और इस तरह दीर्घकालीन कार्यक्रम हस्तक्षेपों हेतु समर्थन प्राप्त होगा। वर्ष 2011–12 में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 929 दानदाताओं को शामिल किया गया।

सांस्थानिक वित्त संचयन

इस वर्ष ऑक्सफैम इंडिया ने नए संस्थानों, विशेषकर कंपनियों से संबंध विकसित करने की संभावनाओं की दिशा में भी कार्य किया। इसने निजी क्षेत्र को शामिल करने हेतु नैतिक स्क्रीनिंग दिशा–निर्देशों (एथिकल स्क्रीनिंग गाइडलाइन्स) के अनुरूप बीएसई की शीर्ष 50 कंपनियों की नैतिक स्क्रीनिंग भी आरंभ की। निजी क्षेत्र को जोड़ने के लिए अब एक रणनीति विकसित की जा रही है।

अनेक अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने इस वर्ष भी ऑक्सफैम इंडिया के लिए अपना सहयोग बरकरार रखा, जिनके नाम हैं–यूरोपियन कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID), यूनिसेफ, डेविडसन ट्रस्ट, जॉन हेलोर ट्रस्ट, फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन इत्यादि। असम आपदा प्रबंधन परियोजना हेतु यूपीएस फाउंडेशन के साथ नई साझेदारियां भी विकसित हुईं। ऑक्सफैम इंडिया ने अपने बड़े पैमाने के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ग्लोबल पावर्टी एक्शन फंड (GPAF) के अंतर्गत DFID से 3 वर्ष के लिए संसाधन प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया। ऑक्सफैम इंडिया ने नोकिया इंडिया के साथ अपने 'प्लानेट के रखवाले' कार्यक्रम में सहयोग स्थापित किया। इस सहयोग के जरिए ऑक्सफैम इंडिया के शैक्षणिक कार्यों में सहायता मिल रही है।

मानवीय कार्यों के लिए वित्त संचय

ऑक्सफैम इंडिया ने जापान में भूकम्प/सुनामी से जुड़े सहायता कार्यक्रमों के लिए एक अपील जारी की और लोगों व कंपनियों से लगभग ₹39.6 लाख जुटाए। आठ कंपनियों–सीए टेक्नोलॉजी प्रा. लि., एनालॉग डिवाइसेज, सिनोप्सिस, एसेंचर, एम'फेसिस, टीसीजी लाइफ साइंसेज, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड व ऑटोडेस्क ने अपने कर्मचारियों के साथ इस महान कार्य में सहयोग करने का वचन दिया।

ऑक्सफैम इंडिया ने पूर्वी भारत में आई बाढ़ के विरुद्ध चलाए गए सहायता कार्यक्रम के लिए भी व्यक्तियों व संस्थाओं– जिनमें ऑक्सफैम जर्मनी, ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया, यूनिसेफ, एम'फैसिस, ऑटोडेस्क व यूरेका फोर्ब्स (वस्तुगत सहायता) शामिल थे– से ₹50.5 लाख जुटाए। इन कोशों से असम के धीमाजी जिले व पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सहयोग मिला।

यूपीएस फाउंडेशन ने ऑक्सफैम इंडिया के 'असम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण' कार्यक्रम हेतु 18 महीनों के लिए ₹26.2 लाख का सहयोग किया।

दानदाता प्रबंधन

ऑक्सफैम इंडिया में गुणवत्तापूर्ण दानदाता सेवाएं, सुदृढ़ डोनर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (DMS) द्वारा दृढ़तापूर्वक समर्थित हैं। व्यक्तियों और संस्थागत, दोनों दानदाताओं से संवाद स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त करने के आरंभ में कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दानदाताओं को हमारे कार्य की ताजा जानकारी देने के लिए, त्रैमासिक न्यूज़लैटर (अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक संस्करण) व विशेष परियोजना रिपोर्टें दी जाती हैं।

इस वर्ष हमने अपने डेटाबेस को अपडेट करने के लिए व हमारे साथ दानदाताओं के संबंधों के बारे में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए, लगभग 25,000 दानदाताओं से संपर्क किया। संवाद के दौरान, हमारे कुछ दानदाताओं ने ऑक्सफैम इंडिया के बारे में अधिक जानकारी देने का आग्रह किया ताकि उन्हें पता चले कि उनके दान का किस प्रकार उपयोग किया जाता है।

बड़े दानदाताओं के रूप में, दानदाताओं के एक विशिष्ट वर्ग ने हमारी मानवीय राहत कार्य प्रतिक्रिया व आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर प्रसन्नता जताई और हमारे न्यूज़लैटरों के जरिए ऑक्सफैम की गतिविधियों के बारे में नवीन जानकारियां प्राप्त करना पसंद किया।

ऑक्सफैम इंडिया ने नोकिया इंडिया से इनके 'प्लानेट के रखवाले' अभियान के अंतर्गत साझीदारी कायम की।

ऑक्सफैम इंडिया और नोकिया इंडिया ने स्कूलों से बाहर के बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने हेतु साझीदारी की।

ट्रेलवॉकर व वित्त संचय से जुड़े अन्य कार्यक्रम

ऑक्सफैम इंडिया ने अपने वैश्विक जागरूकता सृजन व वित्त संचय कार्यक्रम ट्रेलवॉकर को भारत में पहली बार 10 से 12 फरवरी, 2012 के दौरान आयोजित किया गया। भारत में प्रथम ट्रेलवॉकर, मैसूर के निकट संगम, मेकाडाटू से बंगलौर के निकट बिदादी तक 100 किलोमीटर के प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण मार्ग पर 48 घंटों की समयावधि के लिए आयोजित की गई।

स्टेट स्ट्रीट, ऑक्सफैम ट्रेलवॉकर के वैश्विक प्रायोजक थे। पर्यावरणीय स्थायित्व व दूरसंचार सहयोगी के रूप में भागीदारी करने वाले नोकिया इंडिया ने आर्थिक प्रायोजन भी किया। ट्रेलवॉकर के लिए वस्तुएं देकर प्रायोजन करने वालों में मणिपाल हॉस्पिटल्स, यूएस पित्जा, इंटरनेशनल हेरॉल्ड ट्रिब्यून, नेस्ले इंडिया, स्मार्ट न्युट्रिशन, फेसेज, दि आउटडोर स्टोर–रेसिंग दि प्लेनेट, मैकडावेल्स नं.1 ड्रिंकिंग वॉटर, बंगलुरु माउंटनीयरिंग क्लब, टाइमिंग टेक्नोलॉजी व पेगासस शामिल थे।

मई 2012 के अंत तक ट्रेलवॉकर से कुल ₹1.19 करोड़ की निधि उगाही गई।

ऑक्सफैम इंडिया ने मैराथन आयोजनों में भी हिस्सा लिया। इस वर्ष इसने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुम्बई मैराथन और 10के माज्जा रन बंगलुरु मैराथन में भाग लिया। मैराथनों में भागीदारी से संसाधन जुटाने के साथ–साथ संगठन के बारे में जागरूकता का प्रचार–प्रसार करने के दोहरे उद्देश्य को हासिल करने में सहायता मिली।

ऑक्सफैम इंडिया के एक समर्थक, सोमशेखर सुदर्शन द्वारा सुदर्शन पर्वत तक एक ट्रेक आयोजित किया गया व छत्तीसगढ़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा परियोजना में सहयोग हेतु ₹15.87 लाख रुपये की कुल धनराशि उगाही गई।

ट्रेलवॉकर की विशेषताएं

80	भाग लेने वाली टीमें
78	ऐसी टीमें, जिनके कम से कम एक सदस्य ने वॉक पूरी की
41	वॉक पूरी करने वाली पूरी टीमें

ट्रेलवॉकर के परिणाम

	घंटे/मिनट/सेकेंड
तीव्रतम पुरुष टीम–कॉन्फिडेंट फ्लाइंग फीट	20:36:00
तीव्रतम महिला टीम–टेरा ट्रॉट्स	44:36:26
तीव्रतम मिश्रित टीम–मार्च ऑफ दि पेंगुइन्स	28:28:16
तीव्रतम अनुभवी टीम–प्रोट्रेक	24:16:46

शीर्ष तीन वित्त संचयन टीमें

	धनराशि ₹(लाख में)
पॉल रिवर्स मिडनाइट वॉक	24.47
स्पार्टन वॉकर्स	9.63
पेट्रोफैक मुम्बई इंडियंस	5.05

मई, 2011 में आयोजित बंगलुरु मैराथन में भाग लेती हुई ऑक्सफैम इंडिया की टीम

सितम्बर, 2011 में जयपुर में आयोजित वार्षिक कर्मचारी रिट्रीट में 'मुसलमानों और उनके विकास से जुड़े बदलते विचार' पर आयोजित पूर्ण दिवसीय सत्र में फराह नकवी, ऑक्सफैम इंडिया बोर्ड के सदस्य,व दीप्त भोग, निरंतर के संस्थापक सदस्य, अखिल भारतीय स्टॉफ से बात करते हुए

शासन प्रणाली एवं प्रबंधन

ऑक्सफैम इंडिया, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत है। (कार्पोरेट पहचान संख्या **U74999DL2004NPL131340** है।)

ऑक्सफैम इंडिया बोर्ड

ऑक्सफैम इंडिया बोर्ड, ऑक्सफैम इंडिया प्रशासन संबंधी कार्यवाहियों का केंद्र है जो संगठन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। यह इसके लिए समुचित कर्मठता को सुगम बनाता है और अमल में लाता है कि किस प्रकार प्रशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए एक ही समय पर स्टेकहोल्डरों के दीर्घकालीन हितों हेतु प्रबंधन द्वारा प्रयास और संरक्षण उपाय किए जाएंगे। बोर्ड में गैरकार्यकारी निदेशक हैं व दो उपसमितियां–वित्त एवं लेखापरीक्षा समिति व नामांकन समिति –हैं।

बोर्ड के उत्तरदायित्व

- नीति के सूत्रीकरण का पर्यवेक्षण करना, कार्यनीति संबंधी चिंतन करना, प्रबंधन का पर्यवेक्षण करना, व समर्थकों, दानदाताओं, कर्मचारियों, व इसके कार्यों से प्रभावित होने वालों के प्रति जवाबदेही लेना।
- संगठन का मिशन, प्रयोजन, कार्यनीति संबंधी निर्देशन और नीतियां निर्धारित करना।
- कार्यनीतियां विकसित करने, प्रस्ताव प्रबंधित करने व पूर्वधारणाओं को चुनौती देने के लिए कार्यनीति संबंधी नेतृत्व प्रदान करना
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भर्ती करना, बढ़ावा देना और समर्थन देना, इसके साथ उनके कार्य–क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- प्रमुख स्टेकहोल्डरों के दृष्टिकोणों व सरोकारों को समुचित ढंग से सुनना व प्रभावी प्रणालियों व प्रक्रियाओं के जरिए उनका समाधान करना सुनिश्चित करना
- संगठन का इस प्रकार संचालन करना कि जवाबदेही व पारदर्शिता के उच्चस्तर को बनाए रखने में इसे समर्थ बनाए रखा जा सके।

बोर्ड की बैठकों की तारीखें और एजेंडे

बोर्ड बैठक की तिथियां पहले से तय की जाती हैं। अन्य निदेशकों से परामर्श करने के उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बैठक के लिए कार्यवृत्त का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसे अंतिम रूप देने से पूर्व समस्त सदस्यों को वितरित किया जाता है। बोर्ड की बैठक एक कैलेण्डर वर्ष में न्यूनतम चार बार होती है जो एक या डेढ़ दिन तक चलती है। गणपूर्ति या कोरम के न होने की स्थिति में किसी बैठक की कोई कार्यवाही नहीं होती है। किसी भी स्थिति में दो सदस्यों से कम का कोरम नहीं हो सकता है। समस्त कानूनी कार्य वार्षिक आमसभा में किए जाते हैं। इसे वित्तीय वर्ष के समापन के छह माह के अंदर आयोजित किया जाता है।

बोर्ड बैठक के उपस्थिति विवरण

नाम	4 जून, 2011	2 व 3 सितम्बर, 11	3 दिसम्बर, 2011	3 मार्च, 2012
श्री किरण कार्णिक	✓	✓	✓	✓
सुश्री मृदुला बजाज	✓	✓	✓	✓
श्री शंकर जगनाथन	✓	✓	✓	✓
सुश्री मोमिता सेन शर्मा	✓	✓	✓	✗
सुश्री आमू जोसेफ	✓	✓	✓	✗
सुश्री विमला रामचंद्रन	✗	✓	पदावनत	
श्री मिलून कोठारी	✗	✓	पदावनत	
प्रो. अमिताभ कुंडू	✗	✓	✗	पदावनत
सुश्री फराह नकवी	✗	✓	✓	✗
श्री सोमशेखर सुंदर्शन	सम्मिलित नहीं	सम्मिलित नहीं	✓	✓

हमारे बोर्ड सदस्य*

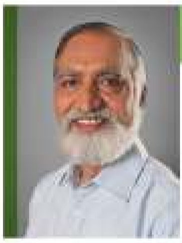

किरण कार्णिक, अध्यक्ष

किरण कार्णिक, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर व सेवा उद्योग हेतु भारत के प्रमुख व्यापारिक निकाय व वाणिज्य परिसंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। वे डिस्कवरी नेटवर्क ऑफ इंडिया के प्रबंधकीय निदेशक, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक–निदेशक भी रहे हैं।

किरण ने ऑक्सफैम इंडिया बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में 27 अगस्त, 2010 को कार्यभार ग्रहण किया। वे अनेक सरकारी समितियों में शामिल हैं व इस समय प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद व केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य हैं व कॉमनवेल्थ कनेक्ट्स प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं।

वर्ष 2007 में पद्मश्री व 2005 में डेटा क्वेस्ट आईटी पर्सन ऑफ दि ईयर पुरस्कार से सम्मानित, किरण बिजनेस वीक द्वारा 2004 में 'स्टार्स ऑफ एशिया' में तथा फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2003 में 'फेस ऑफ दि ईयर' के रूप में सम्मानित किए गए। वर्ष 1998 में, इंटरनेशनल एस्ट्रॉनॉटिकल फेडरेशन ने उन्हें अंतरिक्ष शिक्षा के लिए फ्रैंक मेलिना पदक से सम्मानित किया।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से परास्नातक कार्णिक ने मुम्बई विश्वविद्यालय से भौतिकी में मानद डिग्री प्राप्त की है।

मृदुला बजाज–उपाध्यक्ष

मृदुला बजाज, बाल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और उन्हें कार्यक्रम, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वह इस समय मोबाइल क्रेच नामक एक एनजीओ की कार्यकारी निदेशक हैं। यह एक एनजीओ है जो कंस्ट्रक्शन स्थलों पर बच्चों के साथ काम करता है।

ऑक्सफैम इंडिया बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अगस्त, 2010 में कार्यभार ग्रहण किया। वे 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु संचालन समिति की सदस्या भी रही हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय व शिक्षा विभाग की प्रायोगिक एवं नवप्रवर्तक शैक्षिक परियोजनाओं के प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं क्षेत्रीय निरीक्षणों हेतु विशेषज्ञ समिति में भी रही हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण एवं बाल विकास के क्षेत्रों में उन्होंने गहन कार्य किया है।

उन्होंने लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से बाल विकास विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

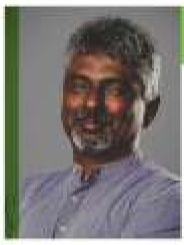

शंकर जगन्नाथन

शंकर अनेक भारतीय कंपनियों व एनजीओ के बोर्ड में स्वतंत्र गैरकार्यकारी निदेशक हैं। वर्ष 1985–2003 के बीच उन्होंने 18 वर्षों के लिए विप्रो लिमिटेड के साथ कार्य किया और देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अलाभकारी संगठन अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के तकनीकी पहल कार्यक्रम व अकादमिक एवं शैक्षिक कार्यों का नेतृत्व किया।

चार्टर्ड एकाउंटेंट व विधि स्नातक, एवं कार्पोरेट, अकादमिक व सामाजिक सेक्टरों में विविधतापूर्ण और विशद अनुभव रखने वाले, शंकर 'कार्पोरेट डिस्क्लोजर्स 1553–2007: ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिपोर्ट्स' नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। इसे रटलेज द्वारा अगस्त, 2008 में प्रकाशित किया गया था।

*31 मार्च, 2012 के अनुसार

मोमिता सेन शर्मा

चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त, मोमिता सेन शर्मा ने विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए वित्तीय सेवा क्षेत्र की पिछले 21 वर्षों से सेवा की है। मार्च, 2010 तक वे भारत में एबीएन एमरो बैंक में माइक्रोफाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट की उपाध्यक्ष और प्रमुख रहीं व एबीएन एमरो फाउंडेशन में बोर्ड सदस्य के रूप में भी सम्मिलित रहीं और इसके पूर्व उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक व एसआरएफ फाइनेंस में कार्य किया।

सुश्री सेन शर्मा, कैशपोर मॉइक्रो क्रेडिट (वाराणसी) की उपाध्यक्ष, व अनन्य फाइनेंस फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ (अहमदाबाद) की बोर्ड सदस्य हैं। वह ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (GRI), एम्सटर्डम की स्टेकहोल्डर काउंसिल मेम्बर हैं। योग में महारत सुश्री सेन शर्मा, कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन की परियोजनाओं में अपना महत्वपूर्ण समय देकर स्वयंसेवा करती हैं।

भारत व विदेशों में माइक्रोफाइनेंस एवं निरंतर विकास पर सम्मेलनों (अमेरिका, ईयू, विश्व बैंक/आईएफसी, टेलबर्ग, डब्ल्यूईसी, एथिकल कार्पोरेशन, वूमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, यूरो मार्केट फोरम, सा–धन, WRI) व बिजनेस स्कूलों (IIM-A, ISB, एस.पी. जैन) में वे प्रखर वक्ता रही हैं। सुश्री सेन शर्मा ने सीए का प्रशिक्षण प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स में प्राप्त किया व प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई से भौतिकी में स्नातक किया।

फराह नकवी

फराह नकवी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य व प्रतिबद्ध कार्यकर्ता व लेखिका रही हैं, जिन्होंने दो दशकों से भी अधिक समय से अल्पसंख्यक अधिकारों, लैंगिक अधिकारों, न्याय, सांप्रदायिकता व महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दों पर किए जाने वाले लोकतांत्रिक प्रयासों में भागीदारी की है। उन्होंने हिंसा की शिकार महिलाओं के बीच कार्य किया है, जांच एजेंसियों के साथ आगे के कार्यों में योगदान दिया है, महिलाओं के समूहों के नेटवर्क बनाए हैं, सूचनाओं को एकत्रित और साझा किया है ववित्त संचयन कार्य के अलावा सरकार के साथ नीतिगत पैरोकारी में भी योगदान किए हैं। लिंग और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर कार्य करने वाले एनजीओ 'निरंतर' की वे संस्थापक सदस्य हैं।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय से परास्नातक फराह ने प्रसारण पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

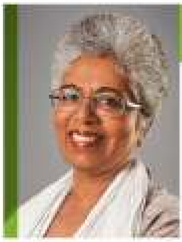

आमू जोसेफ

आमू जोसेफ तीन दशकों से भी अधिक समय से स्वतंत्र पत्रकार, लेखिका और मीडिया समालोचक रही हैं। मुम्बई में 1970 के दशक के मध्य में ईव्स वीकली और स्टार एंड स्टाइल में संवाददाता व उपसंपादिका के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया व 1980 के दशक के मध्य में दि इंडिया पोस्ट की संडे मैगजीन की संपादिका बनीं। बंगलुरु में रहने वाली और 1988 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत, आमू जोसेफ के आलेख प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशनों (अनेक पुस्तकों सहित) में प्रकाशित हुए हैं, उन्होंने अनुसंधान परियोजनाओं में कार्य किया है, परामर्श सभाओं के आयोजनों में योगदान किया है, पत्रकारिता स्कूलों में और अन्य फोरमों में व्याख्यान भी प्रस्तुत किए हैं।

आमू ने छह पुस्तकों का लेखन/संपादन किया है जिनमें से दो महिलाओं व मीडिया पर, तीन महिलाओं और साहित्य पर व एक आतंकवाद एवं प्रतिआतंकवाद पर महिलाओं के दृष्टिकोणों पर आधारित है। लैंगिक व बच्चों संबंधी मुद्दों पर उनके कार्य के कारण उन्हें 2007 में लिंग संवेदन के लिए UNFPA–लाडली मीडिया पुरस्कार दिया गया। नारीवादी पैरोकारी के लिए उन्हें कमीशन ऑन दि स्टेट्स ऑफ वूमेन ऑफ दि एसोसिएशन फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन, अमेरिका द्वारा 2003 में डूना एलेन पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

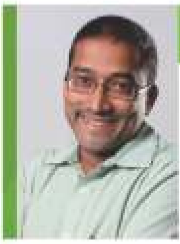

सोमशेखर सुंदर्शन

सोमशेखर सुंदर्शन, भारत की एक राष्ट्रीय कानूनी फर्म जे. सागर एसोसिएट्स के सहयोगी हैं और फर्म के प्रतिभूति कानून एवं वित्तीय क्षेत्र विनियमन प्रैक्टिस के प्रमुख भी हैं। विदेशी निवेश, बैंकिंग व वित्तीय सांस्थानिक क्षेत्र एवं विशेषकर सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित विलयों और अधिग्रहणों के बारे में क्लाइंटों को परामर्श सेवाएं देने का उन्हें गहन अनुभव एवं विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने अनेक बैंकों, प्रतिभूति निर्गमनकर्ताओं, मर्चेन्ट बैंकरों, शेयर दलालों, म्यूचुअल फंड होल्डरों, फंड प्रबंधकों, विदेशी सांस्थानिक निवेशकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शेयर बाज़ारों, सिक्युरिटी डिपॉजिटरी व अन्य वित्तीय सेवा मध्यस्थों को परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। अपनी निजी प्रैक्टिस के अलावा वे भारत में वित्तीय क्षेत्र की सार्वजनिक नीति एवं विनियामकीय मामलों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

न्यायाधीश ए.पी. शाह

न्यायाधीश ए.पी. शाह मई, 2008 से लेकर फरवरी 2010 में अपनी सेवानिवृत्ति तक दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। वे अपने साहसिक न्यायिक निर्णयों के लिए विख्यात रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्णयों में जुलाई 2009 में समलैंगिकता पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय भी शामिल है। इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। इस निर्णय के अनुसार भारत में समलैंगिकता पर 150 वर्ष पुराने कानूनी निषेध को भेदभावपूर्ण व 'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' करने वाला माना गया।

वे वकीलों के घराने से संबंध रखते हैं। उनके दादा, पिता और चाचा भी कानूनी पेशे से जुड़े थे। उनके पिता, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और सेवानिवृत्ति पश्चात लोकायुक्त के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दीं।

न्यायाधीश शाह ने शोलापुर से स्नातक करने के उपरांत गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुम्बई से कानून की डिग्री प्राप्त की। शोलापुर के जिला न्यायालय में कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वे 1977 में बम्बई उच्च न्यायालय चले गए और तत्कालीन अग्रणी एडवोकेट श्री एस.सी. प्रताप के चैम्बर में काम किया। उन्होंने सिविल, सांविधानिक, सेवाओं और श्रम संबंधी मामलों में अनुभव प्राप्त किया। 18 दिसम्बर, 1992 को वे बम्बई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 8 अप्रैल, 1994 को बम्बई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। दिनांक 12 नवम्बर, 2005 को उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया व 7 मई, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित हुए।

प्रशासकीय दर्शन

ऑक्सफैम इंडिया के प्रशासकीय दर्शन के मूल में पांच मुख्य सिद्धांत हैः

1. संगठन द्वारा स्वयं के लिए परिकल्पित विज़न को साकार करने पर निरंतर ध्यान देना। इस संदर्भ में, एक दीर्घकालिक नीति अपनाई गई है व दीर्घकालिक लाभों के लिए पर्याप्त अल्पकालिक निवेश किए गए हैं।
2. प्राकृतिक न्याय एवं सभी के कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए कानून की मूल भावनाओं का अक्षरशः पालन करना।
3. 'जब भी संदेह हो, प्रकट करें' के सूत्रवाक्य के साथ उच्चस्तरीय पारदर्शिता व प्रकटीकरण की नीति को अमल में लाना।
4. सांगठनिक विकास के बारे में समस्त स्टेकहोल्डरों को जागरूक रखना व निरंतर संवाद के जरिए कार्यप्रणालियों के अभिन्न अंग के रूप में भागीदारी करने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. संगठन के अंदर, सांगठनिक उद्देश्यों से प्रेरित एक सरल ढांचे की मौजूदगी, जिसमें परिस्थितियों व नई गतिविधियों के अनुरूप खुद को बदलने की क्षमता है।

वरिष्ठ प्रबंधन टीम

निशा अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निशा ने दो दशकों से भी अधिक समय से गरीबी, असमानता और विकास के मुद्दों पर कार्य किया है। वह मार्च 2008 में ऑक्सफैम इंडिया की स्थापना के समय से ही इसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही हैं। इसके पूर्व पिछले 18 वर्षों तक उन्होंने विकास संबंधी मुद्दों पर विश्व बैंक के साथ कार्य किया और पूर्वी एशियाई क्षेत्र (कम्बोडिया, वियतनाम व इंडोनेशिया), और पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र (तंजानिया, केन्या व युगांडा) देशों में कार्य करने का विशद अनुभव प्राप्त किया। वर्जीनिया विश्वविद्यालय, चार्लोटेसविले, वर्जीनिया, अमेरिका से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की है। उन्होंने इम्पैक्ट अनुसंधान केंद्र, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में अनुसंधान अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया है।

मौतुशी सेनगुप्ता, निदेशक– कार्यक्रम एवं वकालत

मौतुशी सेनगुप्ता को 20 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त है। इनमें से उनका 16 वर्षों का अनुभव विकास क्षेत्र का है। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) के साथ विभिन्न सेक्टरों में अनेक विकास कार्यक्रमों पर काम किया है, जिनमें आजीविका संवर्धन, ग्रामीण विकास, वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधार व उद्यम विकास सम्मिलित हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से एमबीए (विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता) और एप्लाइड एन्वॉयरमेंटल इकोनॉमिक्स में ब्रिटेन के इम्पीरियल कॉलेज से एम.एससी., मौतुशी सेनगुप्ता नवम्बर, 2009 में ऑक्सफैम इंडिया में शामिल हुई।

अविनाश कुमार, निदेशक – नीति, अनुसंधान एवं अभियान

अविनाश कुमार ने आधुनिक इतिहास विषय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी की है। वह स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, लंदन विश्वविद्यालय में चार्ल्स वॉलेस पोस्ट–डॉक्टोरल फेलो भी रहे हैं। अन्य विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त, उन्होंने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान में शिक्षण कार्य किया है और पिछले सात वर्षों से वह अनेक मुद्दों (जिनमें सांप्रदायिकता व बुनियादी सेवाओं का अधिकार शामिल हैं) और पदों पर भारत में ऑक्सफैम में कार्य करते रहे हैं। विकास की राजनीति, असमानता, व विचारों के इतिहास में उनकी विशेष रुचि रही है। उन्होंने अपने पसंदीदा विशय के रूप में सिनेमा व साहित्य की सांस्कृतिक राजनीति पर भी कार्य किया है।

कुणाल वर्मा, निदेशक – मार्केटिंग एवं संचार–संपर्क

कुणाल असमानता के विरुद्ध संघर्ष व अधिक समानता व गरिमायुक्त विश्व व्यवस्था सृजित करने के लिए वित्त जुटाते आ रहे हैं। आईआईएम बंगलुरु के पूर्व छात्र व वित्त संचय व अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग में परास्नातक, कुणाल को विभिन्न कंपनियों व अलाभकारी संगठनों में कार्य करने का 15 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। कुणाल ने अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी व अलाभकारी संगठनों के लिए जागरूकता प्रसार व ब्रांड निष्ठा विकास हेतु ब्रांड निर्माण कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। भारत में तीन विख्यात अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ–एक्शन एड इंडिया, क्रिश्चियन चिल्ड्रेन फंड व ऑक्सफैम इंडिया के लिए वित्त संचयन का कार्य आरंभ करने का अनूठा अनुभव कुणाल को प्राप्त है। पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से ऑक्सफैम इंडिया के साथ कार्य करते हुए, कुणाल ने ऐसे व्यक्तियों व कंपनियों से सहयोगी संबंध विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो 'सभी को सम्मान सहित जीने का अधिकार' दिए जाने के पक्षधर हैं।

अनुजा बंसल, निदेशक–संचालन

अनुजा, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, जिन्हें शिक्षा पश्चात 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। अलाभकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए शिक्षा, आजीविका एवं माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्रों में उन्होंने महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी व मानव संसाधन प्रबंधन में उन्हें विशद अनुभव प्राप्त है। ऑक्सफैम इंडिया में शामिल होने से पहले अनुजा भारती फाउंडेशन की मुख्य वित्त अधिकारी व सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि संबंधी पोर्टफोलियो धारक थीं।

आंकड़ों के पीछे के तथ्य

2011–12 में कुल आय, 2010–11 के ₹80.6 करोड़ की तुलना में 32 प्रतिशत गिरावट के साथ ₹55.1 करोड़ रही।

आय के स्रोत

आय	2011-12 धनराशि, करोड़ रुपयों में	2010-11 धनराशि, करोड़ रुपयों में	प्रतिशत परिवर्तन
सम्बद्ध संस्थाओं से अनुदान	41.1	57.1	-28%
दान–कंपनियां, संस्थान एवं सम्बद्ध संगठन	2.4	0.4	500%
दान– व्यक्तिगत	10.7	8.1	32%
ऑक्सफैम ट्रस्ट के विघटन पर वित्तीय सहायता	0.0	14.2	-100%
बैंक से ब्याज	0.8	0.7	17%
अन्य आय	0.1	0.1	0%
योग	**55.1**	**80.6**	**-32%**

विगत वर्ष में आय में आई समग्र गिरावट का कारण सम्बद्ध संस्थाओं की आय में 28 प्रतिशत की कमी आना है। उनकी आय ₹57.1 करोड़ से कम होकर ₹41.1 करोड़ हो गया। इसके अलावा पिछले साल के दौरान ऑक्सफैम ट्रस्ट से ₹14.2 करोड़ की शुद्ध परिसम्पत्तियों का एकबारगी स्थानांतरण भी इस गिरावट का एक प्रमुख कारण है।

लोगों से मिलने वाला दान ₹8.1 करोड़ से बढ़कर ₹10.7 करोड़ हो गया, यानी इसमें 32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। ऐसा अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलते हुए वित्त संचयन में किए गए निवेशों के कारण संभव हुआ।

सम्बद्ध संस्थाओं से प्राप्त आय

सम्बद्ध संस्थाओं से मिलने वाला अनुदान	2011-12 (₹ करोड़)	2010-11 (₹ करोड़)	% प्रतिशत परिवर्तन
सम्बद्ध संगठनों से प्राप्त अनुदान			
ऑक्सफैम नोविब	18.6	35.3	-47%
ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन	8.8	12.7	-31%
ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया	8.4	4.2	104%
ऑक्सफैम इंटरनेशनल	3.3	2.4	40%
ऑक्सफैम इंटरमॉन (स्पेन)	0.0	1.1	-100%
ऑक्सफैम अमेरिका	0.3	0.0	100%
ऑक्सफैम हांगकांग	1.3	1.0	33%
ऑक्सफैम जापान	0.2	0.3	-36%
ऑक्सफैम जर्मनी	0.6	0.0	100%
आपदा प्रबंधन हेतु सम्बद्ध संगठनों से दान			
ऑक्सफैम जर्मनी	0.2	0.0	100%
ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया	0.1	0.0	100%
सम्बद्धों से प्राप्तियों का योग	**41.8**	**57.1**	**-27%**

कंपनियों एवं संस्थानों से मिलने वाला दान ₹0.4 करोड़ से बढ़कर ₹2.4 करोड़ हो गया, यानी इसमें 500 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। लोगों एवं कंपनियों से मिलने वाले दान में, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा भारत में आयोजित प्रथम ट्रेलवॉकर में 80 टीमों द्वारा उगाही गई आय भी शामिल है, जिसमें ₹1.03 करोड़ इस वर्ष के दौरान उगाहे गए। इस आयोजन से 2012–13 में ₹0.15 करोड़ की और राशि प्राप्त की गई। निधि के बेहतर प्रबंधन के कारण बैंक से ब्याज के रूप में प्राप्त आय ₹0.7 करोड़ से 17 प्रतिशत बढ़कर ₹0.8 करोड़ रही। अन्य आय ₹0.10 करोड़ पर स्थिर रही, जिसमें परिसम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ एवं विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

सम्बद्धों से 2011–12 में योगदान

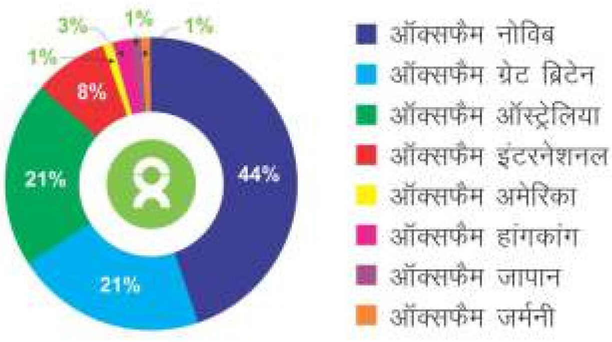

सम्बद्धों से प्राप्त अनुदान एवं दान ₹57.1 करोड़ रुपये के स्तर से गिरकर ₹41.8 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं, यानी इसमें 27 प्रतिशत की गिरावट रही। ऑक्सफैम नोविब व ऑक्सफैम जीबी से मिलने वाले आय में विगत वर्ष की तुलना में अधिक गिरावट रही है। यह गिरावट, मुख्यतः सम्बद्धों की कार्यनीतिक योजना में हुए परिवर्तनों के कारण रही है। ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया

से मिलने वाली आय में बढ़ोत्तरी, आपदा प्रबंधन व शहरी गरीबी संबंधी कार्यों हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण के कारण रही है।

ऑक्सफैम इंटरमॉन से आय में गिरावट, जून 2011 में भारत में इनके प्रचालन समाप्त कर लिए जाने के कारण रही है।

व्यय

कुल व्यय का विश्लेषण

व्यय	2011-12 (₹ करोड़)	2010-11 (₹ करोड़)
कार्यक्रम व्यय	28.3	54.4
वित्त संचय प्रचालन लागत	9.6	4.9
वित्त संचय संबंधी पूंजी लागतें	0.4	0.5
वित्त संचयन की शुरुआत और विकास लागत	1.1	1.6
कर्मचारी हितलाभ व्यय	5.0	4.6
समन्वयन व प्रशासनिक लागतें	5.1	5.2
पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु उपयोग किए गए अनुदान	0.5	0.5
पूर्व अवधि मदें	0.1	0.0
योग	**50.1**	**71.7**

कुल व्यय ₹71.7 करोड़ रुपये से घटकर ₹50.1 करोड़ रुपये हो गया, यानी इसमें 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

व्यय में गिरावट का मुख्य कारणसहयोगी संस्थाओं को मिलने वाले अनुदानों में कमी है। अन्य ऑक्सफैम संस्थाओं से कम आय प्राप्त होने के कारण अनुदानों में कमी आई। वित्त संचयन की शुरुआत एवं विकास व्यय नए वित्त संचयन कार्यालयों की स्थापना हेतु वहन किए गए व्ययों से संबंधित हैं।

₹9.62 करोड़ की वित्त संचयन संबंधी प्रचालन लागत में बंगलुरु में आयोजित प्रथम ट्रेलवॉकर पर हुए ₹0.85 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

वर्ष 2011–2012 के दौरान, 37 प्रतिशत अनुदान, आर्थिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाली सहयोगी संस्थाओं को दिए गए, जो प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधनों लघु कृशि भूभागों के साथ निरंतर जीविका संभव करने वाले उपायों पर फोकस करती हैं।

25 प्रतिशत अनुदान बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत साथी संस्थाओं को दिए गए, जिनका ध्यान मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा व भोजन पर रहा है।

मानवीय कार्यों और आपदा जोखिम करने से जुड़े कार्यों के लिए सहयोगी संस्थाओं को 11 प्रतिशत कोष आवंटित किया गया।

लैंगिक न्याय, शहरी गरीबी व उभरते मुद्दों के लिए 12 प्रतिशत अनुदानों का आवंटन किया गया।

राष्ट्रीय पैरोकारी से जुड़ी आवाज़ों एवं जवाबदेही के लिए 15 प्रतिशत आवंटन किया गया।

2011–12 हेतु व्यय का विश्लेषण

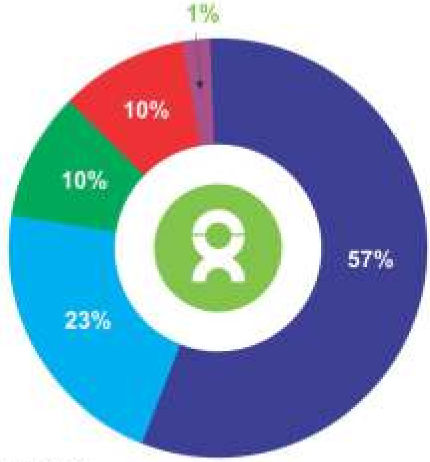

- कार्यक्रम व्यय
- कोष संग्रह व्यय
- कर्मचारी हितलाभ होने वाले खर्चे
- समन्वय और प्रशासनिक लागत
- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए उपयोग किए गए अनुदान

2011–12 हेतु विषयवार व्यय

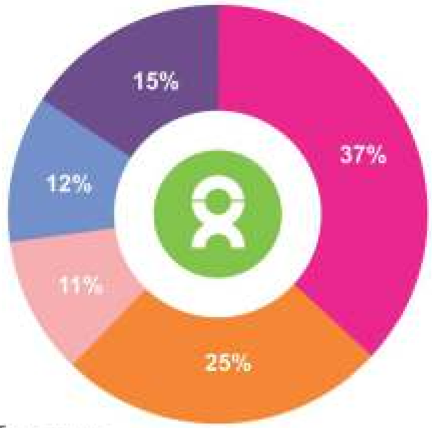

- आर्थिक न्याय
- आवश्यक सेवाएं
- मानवीय
- पहचान और लिंग
- आवाज और जवाबदेही

तुलनपत्र

वित्तीय वर्ष के अंत में सामान्य निधि ₹13.92 करोड़ थी। यह हमारे वित्त वर्ष जो अप्रैल से मार्च तक का होता है, के विपरीत सहयोगी संस्थानों के विभिन्न वित्तीय वषो (एक मामले में जनवरी से दिसंबर और दूसरे में जुलाई से जून) के दौरान प्राप्त ₹13.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि और तद्नुरूप स्थानांतरण के बाद की अतिरिक्त राशि को दर्शाती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान बोर्ड ने मानवीय राहत कार्य प्रतिक्रिया के समय का उपयोग किए जाने के लिए ₹1.35 करोड़ की आरक्षित निधि व तीन माह के प्रचालन व्यय के समतुल्य तत्कालीन अनुमानित ₹1.50 करोड़ की आकस्मिकता निधि तीन वर्षों की अवधि के दौरान सृजित करने का संकल्प किया। दिनांक 31 मार्च, 2011 तक ₹1.35 करोड़ रुपये की आपदा निधि व ₹50 लाख रुपये की आकस्मिक निधि सृजित की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त ₹50 लाख आकस्मिकता आरक्षित कोश में स्थानांतरित किए गए। ये दोनों आरंक्षित निधियां, बैंक में सावधि जमाओं के रूप में प्रदर्शित हैं।

तुलनपत्र, लागत, एवं परिसम्पत्तियों का लिखित मूल्य प्रदर्शित करने के लिए एक पूंजी निधि सृजित की गई है। सभी अचल परिसम्पत्तियां लागत पर उल्लिखित हैं। परिसम्पत्तियों की खरीद कीमत, व अभीष्ट उपयोग हेतु उन्हें कार्यशील दशा में लाने के लिए समस्त अन्य रोप्य लागतें, लागतों में सम्मिलित हैं। निधियों से खरीदी गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया गया है व समतुल्य राशि का स्थानांतरण पूंजी निधि में किया गया है। तदनुरूप ऐसी अचल आस्तियों का अपमार्जन (डिलीशन) भी पूंजी निधि से समायोजित किया गया है।

संगठन की कर्मचारी संबंधित देयताओं, जैसे कि उपदान एवं अवकाश नकदीकरण जैसे प्रावधानों हेतु दीर्घकालीन प्रावधान सृजित किए गए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए उपदान प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ किया गया है और प्रावधान सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

कार्यक्रम एवं अनुदान संचयन कार्यालयों हेतु चुकता प्रतिभूति जमाओं में प्रदर्शित दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों को विगत वर्ष में निवर्तमान परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य निवर्तमान परिसम्पत्तियों में, उपदान प्रबंधन हेतु एलआईसी को भुगतान की गयी धनराशि शामिल है। नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक शेषराशियां व सावधि जमाएं सम्मिलित हैं। अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों में, कार्यक्रम व बैठकों पर अन्य सम्बद्धों की ओर से किए गए व्यय व उनसे वसूली–योग्य व्यय सम्मिलित हैं। अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में, ऑक्सफैम इंडिया व ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर्सम्बद्ध निधीयन समझौते के भाग के रूप में ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया से देय आय शामिल है।

तुलनपत्र 31 मार्च, 2012 के अनुसार

	31 मार्च 2012 (रुपये हजार में)	31 मार्च 2011 (रुपये हजार में)
इक्विटी व देयताएं		
शेयरधारकों की निधियां		
समग्र निधि	23	23
आरक्षित व अधिशेष	139,230	88,796
पूंजीगत परिसम्पत्तियां निधि	19,105	24,249
	158,358	113,068
निवर्तमान देयताएं		
दीर्घावधि प्रावधान	2,827	2,281
	2,827	2,281
वर्तमान देयताएं		
व्यापार व अन्य देय	8,586	4,886
अन्य वर्तमान देयताएं	2,271	12,949
अल्पावधि प्रावधान	999	545
	11,856	18,380
योग	173,041	133,729
परिसम्पत्तियां		
निवर्तमान परिसम्पत्तिया		
अचल परिसम्पत्तियां		
मूर्त परिसम्पत्तियां	19,105	24,249
अमूर्त परिसम्पत्तियां	-	-
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	2,619	2,790
अन्य निवर्तमान परिसम्पत्तिया	1,868	41,000
	23,592	68,039
वर्तमान परिसम्पत्तियां		
नकदी एवं बैंक जमा शेष राशियां	107,542	48,481
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	21,408	16,691
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	20,499	518
	149,449	65,690
योग	173,041	133,729
सार्थक लेखाकरण नीतियों का सार		

As per our report of even date
For S.R.Batliboi & Associates
Firm registration number: 101049W
Chartered Accountants

per Yogesh Midha
Partner
Membership no. 94941

Place: Gurgaon
Date: 2 June 2012

For and on behalf of the board of directors of Oxfam India

Kiran Karnik
(Director)

Mridula Bajaj
(Director)

Nisha Agrawal
(Chief Executive Officer)

Hemanth Kumar
(Finance Manager)

आय और व्यय का लेखाजोखा

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 (₹ हजार में)	31 मार्च 2011 (₹ हजार में)
आय		
प्राप्त अनुदान / डोनेशन	542,136	797,933
अन्य आय	8,853	7,793
कुल आय (I)	550,989	805,726
खर्च		
प्रोग्राम पर होने वाले खर्च	283,172	544,129
कोष संग्रह पर होने वाले खर्च	110,607	69,737
कर्मचारी हितलाभ होने वाले खर्चे	50,425	46,383
समन्वय और प्रशासनिक खर्चे	50,526	52,158
खरीदी गई पूंजीगत परिसम्पत्ति	5,216	4,497
पूर्वावधि में हुए खर्चे	609	-
दर्ज आरंभिक खर्चे	-	11
कुल खर्च (II)	500,555	716,915
कर पूर्व खर्च से अधिक आय (I-II)	50,434	88,811
कर व्यय		
चालू कर	-	
विलंबित कर	-	
कर पर कुल व्यय	-	
कर के बाद खर्च से अधिक आय	50,434	88,811
महत्वपूर्ण लेखाजोखा संबंधी नीतियों का सार		

As per our report of even date
For S.R.Batliboi & Associates
Firm registration number: 101049W
Chartered Accountants

per Yogesh Midha
Partner
Membership no. 94941

Place: Gurgaon
Date: 2 June 2012

For and on behalf of the board of directors of Oxfam India

Kiran Karnik
(Director)

Mridula Bajaj
(Director)

Nisha Agrawal
(Chief Executive Officer)

Hemanth Kumar
(Finance Manager)

नकदी निर्माण विवरण

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2012 (रुपये हजार में)	31 मार्च 2011 (रुपये हजार में)
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
व्यय से आय का आधिक्य		**54,434**	88,811
निम्न हेतु समायोजन:			
पूंजीकृत खरीदी गई परिसंपत्तियां		**9,100**	10,704
ऑक्सफैम ट्रस्ट के विघटन पर वित्तीय सहायता		**-**	(142,149)
सावधि जमाओं पर ब्याज आय		**(5,000)**	(3,229)
अचल परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ		**(258)**	(632)
बट्टे खाते में डाले गए आरंभिक व्यय		**-**	11
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**54,276**	(46,484)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:			
दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		**546**	(7,151)
अल्पावधि प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		**454**	545
व्यापार देयों में वृद्धि / (कमी)		**3,700**	4,873
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि / (कमी)		**(10,678)**	57
दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)		**171**	(2,790)
अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)		**(4,717)**	(10,402)
अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)		**39,132**	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)		**(17,385)**	-
प्रचालन गतिविधियों में (प्रयुक्त) / प्राप्त शुद्ध नकदी	(क)	**65,499**	(61,352)
ख. निवेश गतिविधियों से होने वाला नकदी प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		**(9,100)**	(10,704)
अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्तियां		**258**	632
बैंक जमाओं में किए गए निवेश (3 माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाले)		**(63,500)**	(41,060)
बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज		**2,404**	2,712
निवेश गतिविधियों में (प्रयुक्त) / प्राप्त शुद्ध नकदी	(ख)	**(69,938)**	(48,420)
ग. वित्तीय गतिविधियों से होने वाला नकदी प्रवाह			
समग्र निधि में जोड़ा गया		**-**	1
ऑक्सफैम ट्रस्ट के विघटन पर वित्तीय सहायता		**-**	148,292
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(ग)	**-**	148,293
नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(क+ख+ग)	**(4,439)**	38,521
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		**48,421**	9,900
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		**43,982**	48,421

S.R. Batliboi & Associates * Gurgaon *

OXFAM INDIA * NEW DELHI *

		31 मार्च 2012 (रुपये हजार में)	31 मार्च 2011 (रुपये हजार में)
नकद एवं नकद समतुल्यों के घटक			
उपलब्ध नकद		**350**	269
बैंकों में शेषराशियां:			
बचत खातों में		**43,632**	48,152
जमा खातों में		**-**	-
कुल नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 9)		**43,952**	48,421
सार्थक लेखाकरण नीतियों का सार	2.1		

As per our report of even date
For S.R.Batliboi & Associates
Firm registration number: 101049W
Chartered Accountants

per Yogesh Midha
Partner
Membership no. 94941

Place: Gurgaon
Date: 2 June 2012

For and on behalf of the board of directors of Oxfam India

Kiran Karnik
(Director)

Mridula Bajaj
(Director)

Nisha Agrawal
(Chief Executive Officer)

Hemanth Kumar
(Finance Manager)

संक्षेपित वित्तीय विवरणों पर सार्थक टिप्पणियां

टिप्पणी 1: तैयारी के आधार

सहयोगी संस्थाओं को चुकता किए गए अनुदान के अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा निर्दिष्ट प्रभावी लेखाकरण मानकों के अनुरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की लागू सीमा तक तैयार किया गया है। हालाँकि, FCRA के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लेखों को नकद आधार पर संकलित किया गया है।

टिप्पणी 2: लेखाकरण नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित पुनरीक्षित अनुसूची VI, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी पर इसके वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण हेतु प्रभावी है। पुनरीक्षित अनुसूची VI का अंगीकरण, वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अपनाए गए सिद्धांतों के परिज्ञान एवं मापन को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि वित्तीय विवरण में प्रस्तुतिकरणों व किए गए प्रकटीकरणों पर इसका सार्थक प्रभाव है। कंपनी ने विगत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में लागू अपेक्षाओं के अनुरूप पुनःवर्गीकृत भी किया है।

टिप्पणी 3: अनुदानों / दानों हेतु लेखाकरण

(I) अनुदान / दान

केवल वही अनुदान / दान, आय के रूप में लेखाकृत किए गए हैं जो वित्तपोषक / दानदाता एजेंसियों की स्वीकृतियों के अनुरूप प्रोद्भूत एवं देय हुए हैं। प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु प्राप्त धनराशियों को उस अवधि में आय के रूप में माना गया है जिस अवधि में उस धनराशि का व्यय किया गया है।

वस्तु के रूप में प्राप्त दान, लेखा पुस्तकों में मूल्यांकित या लेखाकृत नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान ऐसे कोई दान प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(ii) ब्याज से आय

ब्याज से आय का आकलन बकाया राशि व लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर किया गया है। ब्याज से आय को आय एवं व्यय विवरण में 'अन्य आय' मद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणी 4: व्यय

अन्य सहयोगी संस्थाओं / परियोजनाओं को दिए गए अनुदान, संवितरण वर्ष में लेखाकृत किए गए हैं।

साथी संस्थाओं द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों के प्रतिदाय, जो कंपनी को वापस किए गए, प्राप्ति के वर्ष में साथी संस्थाओं को दिए गए अनुदानों से घटा दिए गए हैं।

टिप्पणी 5: आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 12AA के अंतर्गत कंपनी को आयकर से छूट प्राप्त है और इसलिए वर्तमान वर्ष में कर व्यय हेतु कराधान का प्रावधान अपेक्षित नहीं हैं। चूंकि कंपनी को आयकर से छूट प्राप्त है, अतः समय भिन्नताओं के संदर्भ में कोई आस्थगित कर (परिसंपत्ति या देयता) नहीं पाया गया।

विस्तृत वित्तीय जानकारियों के लिए, कृपया www.oxfamindia.org पर वार्षिक रिपोर्ट 2012 देखें।

साझेदार

क्रमांक	क्षेत्र	संगठन का नाम	दिया गया अनुदान(₹लाख में)
		आर्थिक न्याय	**771.61**
1	हैदराबाद	एपीपीएस	-0.17
2	हैदराबाद	सीईसी	16.00
3	हैदराबाद	सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	5.21
4	हैदराबाद	चेतना सोसाइटी	0.53
5	हैदराबाद	चेतना सोसाइटी	11.01
6	हैदराबाद	सीएचआईपी	3.53
7	हैदराबाद	सीआईवीआईडीईपी– इंडिया	16.03
8	हैदराबाद	सीपीएफ	22.50
9	हैदराबाद	सीआरओपीएस	10.71
10	हैदराबाद	सीएसए	4.00
11	हैदराबाद	सीडब्ल्यूएस	24.00
12	हैदराबाद	सीवाईएसडी	25.00
13	हैदराबाद	डीएचएएन	25.00
14	हैदराबाद	एमएआरआई	7.12
15	हैदराबाद	एमवाईआरएडीए	21.71
16	हैदराबाद	प्रगति सेवा समिति	6.01
17	हैदराबाद	पीएसएस	7.84
18	हैदराबाद	आरसीडीसी	14.18
19	हैदराबाद	संदया यूथ अर्गेनाइजेशन	8.98
20	लखनऊ	अमन	8.00
21	लखनऊ	डालियों का डगरिया	12.91
22	लखनऊ	गोरखपुर एनवायरामेंटल एक्शन ग्रुप	-43.93
23	लखनऊ	ग्राम नियोजन केंद्र अध्यात्मिक नगर	5.00
24	लखनऊ	हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान	10.00
25	लखनऊ	जन विकास संस्थान	7.97
26	लखनऊ	जनहित फाउंडेशन	9.80
27	लखनऊ	लोक जीवन विकास भारती	5.00
28	लखनऊ	माउंट वैली डेवलपमेंट ऐसोसिएशन	9.82
29	लखनऊ	सेनियन का संगठन	5.00
30	लखनऊ	सेवा भारत	7.63

क्रमांक	क्षेत्र	संगठन का नाम	दिया गया अनुदान (रलाख में)
31	लखनऊ	विनोबा सेवा आश्रम	19.37
32	मुम्बई	अंकुर ट्रस्ट	3.26
33	मुम्बई	आस्था संस्थान	27.80
34	मुम्बई	चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान	2.50
35	मुम्बई	दिलासा संस्थान	13.02
36	मुम्बई	ग्राम मित्र समाज सेवी संस्थान	2.50
37	मुम्बई	ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट	19.03
38	मुम्बई	खोज	5.26
39	मुम्बई	एमएलपीसी	7.50
40	मुम्बई	नवरचना समाज सेवी संस्थान	2.50
41	मुम्बई	परिवर्तन	8.69
42	मुम्बई	साखव पेन प्रकल्प	11.80
43	मुम्बई	समर्थ चैरेटिबल ट्रस्ट	12.53
44	मुम्बई	संतुलन	17.90
45	मुम्बई	श्रमजीवी जनता सहायक मंडल	10.27
46	मुम्बई	एसजेवीएस	8.00
47	मुम्बई	सृजन	24.57
48	मुम्बई	श्रुति	9.45
49	मुम्बई	महिला श्रम सेवा न्यास (एमएसएन)	-0.08
50	मुम्बई	विदर्भ नेचर कंजरवेटिव सोसाइटी	20.37
51	मुम्बई	युवा – एनआरएम प्रोजेक्ट	14.81
52	नई दिल्ली	अमन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट	19.46
53	नई दिल्ली	सिसोएडेकन	21.55
54	नई दिल्ली	एकता फाउंडेशन ट्रस्ट	25.00
55	नई दिल्ली	एनवायरोनिक्स ट्रस्ट	31.88
56	नई दिल्ली	पीएएनओएस	-10.39
57	नई दिल्ली	पार्टनर इन चेंज (पीआईसी)	47.17
58	नई दिल्ली	सोसायटी फॉर रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इनिसिएटिव (एसआरयूटीआई)	37.00
59	नई दिल्ली	वुमैन पावर कनेक्ट (डब्लूपीसी)	13.85
60	नई दिल्ली	नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ वूमैन, चाइल्ड एंड युथ डेवलेपमेंट	14.00
61	नई दिल्ली	सासाईटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट (एसपीडब्लूडी)	8.42
62	नई दिल्ली	वसुंधरा	10.00
63	पटना	बदलाव फाउंडेशन	3.23
64	पटना	चेतना विकास	1.67

क्रमांक	क्षेत्र	संगठन का नाम	दिया गया अनुदान (₹लाख में)
65	पटना	दलित विकास विंदु	3.38
66	पटना	कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट	1.53
67	पटना	कृषि ग्रामीण विकास केंद्र (केजीवीके)	3.00
68	पटना	नव बिहार समाज कल्याण प्रतिष्ठान केंद्र (एनबीएसकेपीके)	5.43
69	पटना	नया सवेरा विकास केंद्र (एनएसवीके)	14.42
70	पटना	प्रगति ग्रामीण विकास समिति (पीजीवीएस)	25.00
71	पटना	पूर्वांचल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (पीजीवीएस)	-11.40
		आवश्यक सेवाएं	**513.90**
72	हैदराबाद	एफएआरआर	-0.03
73	हैदराबाद	एमएआरजी	20.00
74	हैदराबाद	परिवर्तन	12.75
75	हैदराबाद	शिक्षासंधान	20.40
76	हैदराबाद	यूएए	25.10
77	कोलकत्ता	रीच इंडिया	-1.06
78	लखनऊ	आर्थिक अनुसंधान केंद	9.16
79	लखनऊ	लोकमित्र	25.00
80	लखनऊ	मानव सेवा संस्थान	5.00
81	मुम्बइ	अनुसंधान ट्रस्ट.– साथी	38.53
82	मुम्बइ	फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट –एफईडी जन	25.00
83	मुम्बइ	स्वास्थ्य सहयोग	7.87
84	मुम्बइ	प्रथम	15.00
85	नई दिल्ली	रंसद	4.50
86	नई दिल्ली	आत्मशक्ति	20.00
87	नई दिल्ली	बोध शिक्षा समिति	31.00
88	नई दिल्ली	काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट	9.95
89	नई दिल्ली	सीयूटीएस	-12.35
90	नई दिल्ली	(ईएफआरएएच)	16.80
91	नई दिल्ली	जीईएजी	20.00
92	नई दिल्ली	इम्पावरमेंट फॉर रिहैबिलीटेशन एकेडमिक ऐंड हेल्थ	8.04
93	नई दिल्ली	मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (एमएआरजी)	42.70
94	नई दिल्ली	प्रयास	24.95
95	नई दिल्ली	पब्लिक हेल्थ फॉउंडेशन ऑफ इंडिया	11.80
96	नई दिल्ली	राजीव नीलू कचवाहा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट	22.77
97	नई दिल्ली	सोसाईटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट (एसएआरडी) स्वाधिकार	20.00

क्रमांक	क्षेत्र	संगठन का नाम	दिया गया अनुदान (रलाख में)
98	नई दिल्ली	सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड एडवोकेसी	11.10
99	नई दिल्ली	पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया	7.00
100	पटना	एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग	1.50
101	पटना	बिहार वालेंटरी हेल्थ एसोसिएशन (बीवीएचए)	20.00
102	पटना	सेंटर फॉर हेल्थ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट	4.50
103	पटना	चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीआईएनआई)	10.34
104	पटना	ईस्ट एंड वेस्ट एजुकेशन सोसाईटी	1.69
105	पटना	लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट (एलईएडीएस)	15.00
106	पटना	नव भारत जागृति केंद्र (एनबीजेके)	10.38
107	पटना	सोसाईटी फॉर पार्टिसीपेटरी एक्शन एंड रिफलेक्शन (एसपीएआर)	9.53
		मानवीय	**219.97**
108	हैदराबाद	डीएफवाईडब्लूए	5.00
109	हैदराबाद	पालीश्री	10.00
110	हैदराबाद	संघमित्र	5.00
111	हैदराबाद	सेलर	9.45
112	हैदराबाद	उन्नयन	10.00
113	कोलकत्ता	मोरीगॉव महिला महफिल (एमएमएम)	18.07
114	कोलकत्ता	नार्थ ईस्ट अफेक्टेड एरिया डेवलपमेंट सोसाईटी (एनईएडीएस)	19.11
115	कोलकत्ता	रूरल वॉलिंटियर्स सेंटर	17.94
116	कोलकत्ता	सोशल एक्शन फॉर एप्रोप्रिएट ट्रांस्फॉरमेशन एंड एडवांसमेंट इन रूरल एरिया (एसएटीआरए)	17.70
117	लखनऊ	ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज	25.00
118	लखनऊ	पूर्वांचल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	34.41
119	नई दिल्ली	दलित वाच	5.52
120	पटना	अभिज्ञान दिशा	3.00
121	पटना	अदिथि	11.00
122	पटना	बिहार सेवा समिति (बीएसएस)	4.00
123	पटना	इनटिग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ)	18.27
124	पटना	नव जागृति	6.50
		पहचान और लिंग	**232.74**
125	मुम्बई	बिहार नारी उत्थान सेवा महिला मंडल	21.16
126	मुम्बइ	चेतना महिला विकास केंद्र	21.81
127	मुम्बइ	निर्मल निकेतन	19.80
128	मुम्बई	प्रदान	12.43

क्रमांक	क्षेत्र	संगठन का नाम	दिया गया अनुदान (रुलाख में)
129	मुम्बइ	प्रकृति	25.57
130	मुम्बई	विकल्प संस्थान	25.16
131	मुम्बई	युवा.– जेंडर प्रोजेक्ट	21.30
132	नई दिल्ली	ब्रेकथ्रू ट्रस्ट	23.22
133	नई दिल्ली	क्रियेटिंग रिसोर्स फॉर इम्पॉवरमेंट इन एक्शन (सीआरईए)	26.54
134	नई दिल्ली	विमश	4.14
135	नई दिल्ली	एक्शन इंडिया	8.76
136	नई दिल्ली	विविधा	10.31
137	पटना	महिला मुक्ति संस्था (एमएमएस)	12.55
		आवाज और जवाबदेही	**299.19**
138	हैदराबाद	एपीएसए	5.47
139	हैदराबाद	एसपीएडी	14.16
140	कोलकत्ता	जीन कैम्पेन	10.10
141	लखनऊ	विज्ञान फाउंडेशन	20.03
142	मुम्बई	आशीष ग्राम रचना ट्रस्ट	10.00
143	मुम्बइ	सीएनडीटी	2.62
144	मुम्बइ	युवा–डब्लूएनटीए प्रोजेक्ट	8.64
145	नई दिल्ली	सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव दलित मीडिया	27.96
146	नई दिल्ली	अनहद	23.00
147	नई दिल्ली	सेंटर फॉर बजट एंड गवरनेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए)	15.00
148	नई दिल्ली	नेशनल सोशल वाच	20.00
149	नई दिल्ली	प्रवाह	13.18
150	नई दिल्ली	रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाईटी	6.00
151	नई दिल्ली	समा रिसोर्स ग्रुप फॉर वुमेन एंड हेल्थ (एसआरजीडब्लूएच)	3.00
152	नई दिल्ली	समर्थन – सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट	21.05
153	नई दिल्ली	युवसत्ता	15.00
154	नई दिल्ली	अजीविका ब्यूरो	24.36
155	नई दिल्ली	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस (एडीएस)	14.30
156	नई दिल्ली	स्वराज पीठ ट्रस्ट	10.00
157	नई दिल्ली	वॉलिंटिरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वीएएनआई)	16.50
158	नई दिल्ली	यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉल्योंटरी एक्शन (वाईयूवीए)	18.82
			2037.42

क्रमांक	महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले आईपीएपी साझेदारों की सूची	साझेदारों को भुगतान किए गए कोष (₹लाख में)
1	आनंदी	6.75
2	एडब्लूएजी	8.00
3	सीएसजे–जनविकास	6.00
4	आईएसडी	14.90
5	एफएआरआर	18.46
6	आईएसडब्लूआ	3.75
7	अर्पण	8.00
8	एसआरएसपी	5.00
9	सहयोग	8.00
10	वननगना	8.00
11	एसडब्लूएआरडी	8.16
12	एसवीएएस	5.25
13	भूमिका	12.12
14	एप्पस	5.32
15	एसवाईआ	6.04
16	विकल्प	18.61
17	अनुपमा एजुकेशन सोसाईटी	12.57
18	पीसीवीसी	14.04
19	आइना	67.02
20	फूलिन	11.01
21	महिला जागरण केंद	18.00
22	गड़वाल विकास केंद्र	48.31
23	युवा	22.50
24	निष्ठा	18.10
	कुल	**353.91**

नोटः उपरोक्त अंतरराष्ट्रीय एनजीओ पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट प्रोग्राम (आईपीएपी) के सहयोगियों का प्रबंधन डीएफआईडी द्वारा वित्तपोषित आईपीएपी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट के लिए ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किया जाता है।

सावित्री देवी, बिहार के भोजपुर ज़िले के सहर ब्लॉक के तहत आने वाले बरुही देवनारायण नगर गांव में पट्टे पर ली गई ज़मीन पर सामूहिक रूप से उगाए गए गेहूं के साथ।

ऑक्सफैम इंडिया
Oxfam
India

ऑक्सफेम इंडिया,
श्रीराम भारतीय कला केंद्र चौथी और पांचवीं मंजिल
1, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110 001, भारत
टेली:+91 (0) 11 4653 8000, Fax:+91 (0) 11 4653 8099,
Email: delhi@oxfamindia.org

www.oxfamindia.org